

[Shri K. Mohanan]

Guild, an unregistered bogus organization run by a priest named Father Ignatius under the cover of a charitable society. But it was already established that this is a bogus organization. In the name of the Guild Fr. Ignatius has already imported 25,000 tonnes of cement from foreign countries. Three more cases have already been unearthed including a bogus society in Ernakulam, controlled by some influential persons who have close connections with the ruling party including one Deputy Superintendent of Police. Sir, the question that has arisen is: how could it secure such a large quantity as three lakh bags as reported from STC when even public sector and cooperative agencies could not get adequate quota from STC? STC had rejected applications from the State-owned Small Industries Development and Employment Corporation and the State Warehousing Corporation for licence to import cement.

Not only that. The imported cement has been distributed throughout the State even without paying the due sales tax to the State Government. It was clear from these facts that some influential persons are involved in these dealings. It was reported in the press that some ruling party MLA's and MP's of the State are involved in this fraud.

SHRI V. GOPALSAMY: Congress Party?

SHRI K. MOHANAN: I am demanding an inquiry on that. I am not charging anyone. (Time-bell rings). Half a minute more.

The Kerala High Court has suggested a comprehensive inquiry by a Central investigating agency into the whole affair. The Court, while dismissing a writ petition filed by Father Ignatius, has said that it was mysterious to see the public sector State Trading Corporation granting licence to an unregistered agency to import 25,000 tonnes of foreign cement. STC had granted the licence to the Guild in just four days, and that too before

it was registered under the Tamil Nadu Societies Registration Act. Sir, I am quoting from the verdict of the High Court while dismissing a writ petition from Fr. Ignatius.

So, Sir, I request the Government of India, through you, to institute a high level inquiry into the whole affair including the involvement of the ruling party MLA's and MP's and the part played by STC. I request, through you, the Government to institute a high level inquiry into the whole matter, as directed by the hon. High Court of Kerala.

ANNOUNCEMENT RE. STATEMENT ON SITUATION IN SRI LANKA

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): I have to inform hon. Members that the Minister of State in the Ministry of External Affairs, Shri Ram Niwas Mirdha, will make a statement in the House today at 5-30 P.M. on the situation in Sri Lanka.

THE LEVY SUGAR EQUALISATION EQUALISATION FUND (AMENDMENT) BILL, 1984

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT-CHARGE) OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Levy Sugar Price Equalisation Fund Act, 1976, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

As the House may be aware, the Government has been following in the interest of millions of consumers, the policy of partial control on sugar since 1967-68 sugar year with brief spells of breaks from 25-5-1971 to 30-6-1972 and from 16-8-1978 to 16-12-1979. Under this policy, a substantial portion of sugar production (called 'levy sugar') each year is taken over at prices fixed under the Essential Commodities Act for distribution

to the consumer through fair price or ration shops. Prior to 1972-73, the retail consumer price used to be different in different areas based upon the zonal ex-factory price, transport and handling charges, etc., and the distribution was arranged through the licensed wholesale and retail dealers. Since 1972-73, the wholesale dealers have been replaced by the Food Corporation of India and other public agencies, and the levy sugar is being distributed to the consumer at a uniform price throughout the country.

The ex-factory prices fixed by the Government from time to time have been challenged by the sugar producers by filing writ petitions in the High Courts and the Supreme Court. In majority of the cases, the Courts permitted the sugar producers to charge higher prices pending disposal of the writ petitions. Prior to 1972-73, the incidence of higher price was ultimately passed on to the consumer. From 1972-73, the burden of the higher prices has fallen on the non-statutory Levy Sugar Price Equalisation Fund being operated by the Food Corporation of India in connection with implementation of the scheme for distribution of levy sugar at a uniform price.

When the writ petitions of certain sugar mills challenging the price of levy sugar of 1971-72 and earlier sugar years were dismissed by the Supreme Court in 1972, the sugar producers contested the demand of the Government for refund of excess charges. In order to avoid millions of consumers entering into litigation for seeking refund of the excess price paid by them—possibly they could not have done—and allowing the sugar producers to retain the undue collection of large sums of money, the Government enacted the Levy Sugar Price Equalisation Fund Act, 1976 with a view to securing recovering of such sums from the sugar producers along with interest thereon at the rate of 12.5 per cent per annum, refunding the sum to the consumer of sugar, who paid

the higher price and utilising the unclaimed amounts for the benefit of the consumer of levy sugar as a class by maintaining uniform retail price of levy sugar.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : कितना रुपया ऐसा है उन लोगों के पास ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: In the light of the experience of the administration of the Act and the issues arising in a number of court cases, it has been decided to amend the Act so as to plug certain loopholes in the existing provisions of the Act of which the sugar producers have attempted to take undue advantage and make the Act much more stringent. With this object in view, the Levy Sugar Price Equalisation Fund (Amendment) Bill, 1984 has been brought forward for consideration and passing of this House. The important undue advantages which the sugar producers have attempted to take, are:—

(1) In absence of a specific provision in the Act, excess Central Excise Duty on sugar, collected as a consequence of the interim higher price allowed by the Courts, is not liable to be credited to the Fund. This is being sought to be covered in the amendment.

(2) The excess realisations made before 1972-73 are not liable to be credited to the Fund since the uniform retail price was introduced from 1972-73, and levy sugar has been defined in the Act to have the same meaning as was assigned to it in the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1972 in making is applicable to past cases as well. This is the second amendment.

(3) The prescribed interest is not liable to be credited to the Fund as specific provision to that effect has not been made in one of the subsection of section 3 of the Act and because the Act does not provide for payment of interest to the consumer alongwith refund of the excess price paid by him. This is being rectified

and covered in the proposed amendment.

(4) These are the important amendments that we propose to incorporate in this amending Bill.

(5) I would hope that with the help and cooperation of hon. Members of this august House it should be possible to have this amendment Bill expeditiously passed in the interest of millions of consumers so that the producers could be compelled to deposit the excess realisation including the Central Excise Duty as well as provide for crediting of the interest etc.

With these introductory remarks I commend this Bill for the consideration of the House.

The question was proposed.

*SHRI DEBENDRA NATH BARMAN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Hon'ble Minister seeks to amend the Levy Sugar Price Equalisation Fund Act, 1976.

The Sugar Mill owners are not happy with the ex-factory prices of sugar. They are going to High Courts and Supreme Court for increasing the prices of sugar. The Courts are also enabling the Sugar Mill owners to increase the prices of sugar by granting their appeals. Consequently, the dealers in sugar are being benefitted in many ways.

Increased price of sugar is harming the interests of consumers. It is also harming the interests of Government in the matter of realising levy. The Sugar Mill owners are not paying to the Government its excess dues due to increase in prices of sugar. The Hon'ble Minister has moved this amending Bill in order to realise the excess dues from Sugar Mill owners. This amending Bill is welcomed and deserves support as it enables the Government to realise its legitimate

dues from the Mill owners. But the Government took eight years to bring this amending Bill. What is the reason for it?

The Essential Commodities Act, 1972 and the Levy Sugar Price Equalisation Fund, Act, 1976 had many loopholes. Taking advantage of those loopholes, the Sugar Mill owners have pocketed, and are still pocketing, lakhs of rupees by cheating the common people. The Hon'ble Minister may say that those Acts were enacted by Parliament and as such the Parliament should be held responsible for those loopholes. Such a statement may come from simple people. But a Government Bill is not enacted in a simple manner. The framers of laws have definite objectives while framing them. Those objectives are to safeguard class interests in a class-divided society. The interests of which class is being protected by the Government of India? Are they protecting the interests of businessmen, monopolists and Zamindars or labourers, workers and farmers? If the Hon'ble Minister takes a little care, he will find that the Essential Commodities Act, 1972 and the Levy Sugar Price Equalisation Fund Act, 1976 are really serving the cause of Sugar Mill owners and sugar dealers.

3 P.M.

The Sugar Mill owners paid interests to the Government on its dues at the rate of 12½ per cent interest. They did not pay Government's dues deliberately and cleverly. So they deserve punishment. I feel an interest of 18 per cent should be charged on Government's dues. If the payment is made within sixty days, the rate of interest will be 18 per cent. But if the payment is made beyond sixty days, the rate of interest should be 20 per cent.

We have noted that this Sugar industry, like other industries, does not safeguard the interests of consumers in internal markets. sugarcane growers and workers. The interests of Government are also affected as it happens in the case of Levy Sugar Price.

*English translation of original speech delivered in Bengali.

The Hon'ble Minister knows that the sugar-cane growers in this country will now get at least Rs. 200 crores from Sugar Mill owners. They are not getting price for their produce in proportion to its cost of production. The price of sugarcane should be between Rs. 20 and Rs. 27 per quintal. But the growers are forced to sell their produce between Rs. 11 and 17 per quintal upto months between October and December.

Palashi-Ramnagar Cane and Sugar factory in West Bengal did not produce sugar for more than 500 tons despite availability of sugar-cane in their own lands. Consequently, the employees

What are the reasons for such a situation in sugar industries? Why the local buyers are forced to buy sugar at a price higher than the price in the international market? Why the workers are compelled to starve day after day after losing their jobs. Why the cane-growers are deprived of their dues? Above all, why the sugar industry is unable to meet the internal demand? I want that the hon'ble Minister should give correct answers to my questions. But we feel that the anti-people policy of the Congress Government is responsible for the crisis in sugar industry as in other industries. The Government should give up its anti-people policy. I demand that sugar industry and sugar business should be nationalised immediately.

Sugar is a sweet commodity. The Government should not allow to develop such a situation which will embitter relationship between the consumers on the one hand and the Government and sugar dealers on the other. The Government should also see that embittered relationship does not grow between workers and sugar mill owners. At the end I would request the Hon'ble Minister to nationalise Palashi-Ramnagar Sugar Factory. A demand to this effect has already reached the Minister. Simultaneously, I demand nationalisation of other sugar industries in the country. I also demand that sugar should be distributed

(Shri Debendra Nath Barman)

throughout the country through Fair Price Shops at the same price. Only these steps from the Government will save this industry. With these words I conclude. Thank you.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) मान्यवर...

एक माननीय सदस्य : आप भोजपुरी में बोलिए . . . (व्यवधान)

श्री रामानन्द यादव : नहीं, नहीं। आप घबड़ाए नहीं। मैं भोजपुरी में नहीं बोलूंगा। मैं भारतीय हूँ। मेरे लिए हिन्दी मेरी राष्ट्रभाषा है। उसी में मैं विश्वास करता हूँ। मैं उसी में बोलूंगा।

मान्यवर, मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूँ। यह बड़ा ही सामयिक बिल है, उचित बिल है और इस तरह का बिल बहुत पहले आना चाहिए था। लेकिन ना-मालूम क्यों इतने दिनों तक यह बिल पड़ा रहा, क्यों नहीं लाया गया। हालांकि ऐसे बिल के लाने में इस देश के चीनी उद्योगपति प्रभावित होते हैं। जब भानू प्रताप जी मंत्री थे खेल के, मुझे याद है, एग्रीकल्चर के भी मंत्री थे और यह भी शामिल था, उस वक्त भी सोचा गया कि इस तरह का बिल लाया जाय। लेकिन देश के चीनी उद्योगपति इतने सबल हैं कि बहुत दिनों तक सरकार पर येन-केन-प्रकरेण अपने अफसरों के माध्यम से दबाव डालकर अपने ही तरह की, अपने फायदे की बराबर चीनी नीति निर्धारित कराते आए हैं, जिसकी वजह भानू प्रताप सिंह जी इस बिल को नहीं लाए। अब यह क्रेडिट है मान्यवर हमारे मंत्री भागवत झा आजाद को और कांग्रेस सरकार को कि कि इतने दिनों से जो कंज्यूमर को चूस कर के इस देश के चीनी उद्योगपति पैसे इकट्ठे कर रहे थे, सरकार के कानून बनाने के बाद 76 के लेवी एक्वलिजेशन बिल पास होने के बाद भी वे विभिन्न

तरह से कोर्टों में जाकर लूप-पोल निकाल कर, उनके पास पैसा तो काफी है, वकीलों के जरिए लूप-पोल निकालकर सरकार से बचते रहे। अब आज सरकार ने लूप पोल को बंद करके इस कानून को यहां लाया है, लेकिन नजर यह आता है कि आपके सरकारी आफिसर वहीं ऐसा न करें कि कहीं लूप-पोल न छोड़ दें, जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़े।

मैं इसी कॉशिन के साथ अपने मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल में बिल्कुल लूप-पोल नहीं रहनी चाहिए। अगर इस तरह के सुझाव कहीं से आते हैं चाहे इधर से आयें या उधर से आयें तो उन को स्वीकार करने की आप कोशिश कीजियेगा।

मान्यवर, मैं अब भारत सरकार की शुगर नीति पर आता हूँ। कानूनी पेचीदगी में मैं नहीं जाना चाहता। ठोस बात कहना चाहता हूँ। यह शुगर इंडस्ट्री करीब 20 वर्ष तक बराबर भारत सरकार से टैरिफ लेती रही है, छूट लेती रही है और बड़ा पैसा लगा कर यह बनायी गयी है। एक आदमी ने एक छोटी सी खंडसारी की मिल शुक् की थी और उससे ही उसने दो शुगर मिलें खड़ी कर ली। इसी तरह से कुदना लाल ने चार शुगर मिलें खड़ी कर ली हैं। क्योंकि छूट इतनी ज्यादा मिली हुई है कि उससे उन लोगों ने काफी फायदा उठाया है और आज भी वे छूट लेते जा रहे हैं। सरकार को शुगर नीति इतनी डिफेक्टिव है कि जिसकी वजह से उनको फायदा होता है। न तो यह कंज्यूमर के इंटरैस्ट में है और न केन पैदा करने वालों के इंटरैस्ट में है और न यह सरकार के इंटरैस्ट में है। दक्षिण भारत में जो शुगर पैदा होती है उस में वम खर्च पड़ता है। वहां अधिक शुगर केन पैदा होता है और वहां के लिये केन प्राइस जो निश्चित होती है वह अलग होती है और नार्थ इंडिया में जो शुगर पैदा होती है उसकी केन प्राइस दूसरी होती है

और इसके लिये डिफरेंड जोन्स बने हुये हैं। यूनिफार्म जोन्स नहीं हैं और फिर फैक्ट्रियों में भी डिस्टिंक्शन है। रीजनल व्यवस्था से हानि तो होती ही है और नार्थ और साउथ में जो प्राइस डिफरेंस है उस से भी नुकसान होता है। साथ-साथ जो कास्ट प्राइस निर्धारित की जाती है चीनी की—जो बड़ी फैक्ट्री है और जिसके एरिया में कोई दूसरी फैक्ट्री नहीं है 30, 40 मील के रेडियस में उसको काफी ईख मिल जाती है और जब उनको काफी पेरने को मिल जायेगा तो उसमें चीनी की कास्ट कम पड़ेगी। अधिक ईख मिलने पर मिल भी अधिक दिन तक चलेगी और उस को उत्पादन का खर्च भी कम पड़ेगा। और जहां चार, पांच मिलें हों तो वहां हर एक को थोड़ी-थोड़ी ईख मिलेगी और उसमें चीनी की उत्पादन लागत ज्यादा होगी और शुगर प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन प्राइस जब निर्धारित होगी तो जिसका अधिक खर्च पड़ता है उसको भी उतनी ही कीमत मिलेगी और जिसको कम खर्च पड़ता है उसको भी उतनी ही कीमत मिलेगी। तो जिसको चीनी पैदा करने में कम खर्च पड़ता है वह तो मालामाल हो जायेगा, वह अधिक धनिक हो जायेगा और जिसकी फैक्ट्री में उत्पादन की कास्ट अधिक पड़ती है और कम उत्पादन होता है वह गरीब से गरीब होता जा रहा है। वह फैक्ट्री सिक होती जा रही है और जब वह मरने लगती है तो उसको सरकार ले लेती है और सरकार जब लेती है तो फाइनेंस मिनिस्टर से रुपया ले कर उसको चलाना पड़ता है और फाइनेंस मिनिस्टर 40 करोड़ रुपया अब तक भारत सरकार का 8 मिलों में लगा चुके है। इतना पैसा ट्रेजरी से लेकर उन 8 मिलों में पम्प कर दिया गया है और उस में एक फैक्ट्री भी नफे में नहीं चल रही है। और आप सुन कर ताज्जुब करेंगे कि स्पस की एक फैक्ट्री है 90 लाख रुपये की तो उस फैक्ट्री ने केवल लकड़ी खरीदी है ग्युअल के लिये। वहां गितने मैनेजर हैं।

चाहे वे स्टेट कारपोरेशन के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के, वे सब आज मालामाल हो रहे हैं और अपने खाने पीने में लगे हुए हैं और खूब लूट रहे हैं भारत सरकार को और ट्रेजरी को लूट रहे हैं। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि एक कमीशन बिठाया जाय और इन शुगर मिलों को वक्लिश को चाहे वे स्टेट सेक्टर में हों या भारत सरकार के अंडर में हों। आप सब जगह इन्क्वायरी करे कि इतना ऐक्सपेंसिव खर्चा क्यों हो रहा है। साधारण आदमी गांवों में कोल्हू चलाता है ईख पैदा करता है, मीठा बनाकर वह कुछ न कुछ आमदनी कर लेता है। इस तरह से देश के ऐक्सचेंजर में भी पैसा आया जाता है। दूसरी तम्फ कंज्यूमर्स मारे जाते हैं। उसको चीनी नहीं मिल पाती है। अभी भारत सरकार ने तय कर दिया कि लेवी शुगर इस कीमत पर लेगे तो मिल मालिक कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया। बड़े बड़े मालदार लोगों के, बड़े खानदानों के लोग जज बनकर बैठे हुए हैं। उन्होंने स्टे कर दिया कि नहीं सरकार ने जो निर्धारित किया है उस पर नहीं रहेगा। सरकार ने कहा कि 340 रुपया दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 380-386 रुपया दो। फिर दो तीन वर्ष में उसकी वैकैट कर दिया। तब तक चीनी कंज्यूमर्स के पास चली गई और मिल मालिकों के पास पैसा आ गया। जब उसकी रिकवरी करने के लिए सरकार जाती है तो वह फिर कोर्ट में चले जाते हैं। तो किसानों कोपेमेंट नहीं होती है। हमारे बिहार में 47 करोड़ रुपया बाकी है किसानों का मिलों पर। आपने जो शुगर फैक्ट्रियों को आर्पोरेटिव सैक्टर में बनाई हैं या स्टेट गवर्नमेंट को जो कारपोरेशंस हैं उनके माध्यम से बनाई हैं उनमें करोड़ों करोड़ रुपया बाकी है किसानों का।

[श्री रामानन्द यादव]

उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान तबाह हो रहे हैं। रीजल्ट यह हो रहा है कि जब उनको पैसा नहीं मिलता तो वे ईख नहीं बोएंगे जिसकी वजह से आज ईख की खेती कम हो गई है और उसका मतीजा यह हुआ है कि हम 59 लाख टन शुगर पैदा कर रहे हैं जहां कि 80 लाख टन पैदा करते थे। हम क्यूबा, फिजी, मारिशस जहां सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता था उनके मुकाबले में हम चल रहे थे, आज हम गिरकर 59 लाख टन पर आ गए हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि किसानों को रिम्पूनरेटिव प्राइस नहीं दी जाती, उनको मन्ने की कीमत भी अदा नहीं की जाती। प्राइस फिक्सेशन भी ईख को पैदा करने में जितना खर्चा आता है, उसके आधार पर केन का प्राइस तय नहीं किया जाता जिससे किसान परेशान होता है। सब चीजों का दाम बढ़ गया इंडस्ट्रियल गूड्स का, जितना प्रोडक्शन हुआ उनकी कीमतें कहां से कहां चली गई। लेकिन अग्रिकल्चर का जितना दाम था उसके मुकाबले में नहीं बढ़ा। तो इससे किसान हताश हो गया है और उत्पादन गिर गया है। आज जर्म की बात यह है कि आप विदेश में चीनी मंगाने जा रहे हैं। क्या खरूरत है इसकी? हम किसानों को केन प्राइस देंगे, रिम्पूनरेटिव प्राइस देंगे तो अधिक चीनी वह पैदा करेगा। ईख की साल में एक ही फसल काटी जाती है, वह ईख नहीं बोएगा तो तीन फसलें काट सकता है। आज किसान सोचता है कि ईख बोकर मुकाना उठाये, पैसा मिलता नहीं है, इससे अच्छा है कि हम दो फसल काटें। उससे हमें मुनाफा होगा। लेकिन आप जा रहे हैं विदेश चीनी मांगने के लिए। तो यह बड़े शर्म की बात है। किसान भी घाटे में है, सरकार भी घाटे में है और देश की पैदावार भी गिर रही

है और आप प्राइस तय नहीं कर रहे हैं। रिम्पूनरेटिव प्राइस भी नहीं देते हैं। आप को विदेशों से मंगाने की बजाय आपकी एक निश्चित केन नोति होनी चाहिए। के प्राइस की एक यूनिफार्म पालिसी बनाई जाए जो कि आज तक आपने नहीं बनाई है। मैं सरकार से चाहूंगा कि एक यूनिफार्म केन पालिसी सरकार निर्धारित करे। जो जोनल सिस्टम है उसको भी एबोलिश करने की कोशिश की जाए। यह जो कास्ट प्रोडक्शन आप लगाते हैं, चीनी की प्राइस फिक्स करते हैं इनको आप एक ही तराजू पर तोलते हैं। चीनी पैदा करने वाले पर अधिक कास्ट पड़ती है और चीनी मिल मालिक जो है जिसका खर्च कम होता है वह मुनाफे में चला जाता है। इसलिये मेरा कहना है कि इस पालिसी को आपकी रिव्यू करना चाहिए।

दूसरे केन इन्श्योरेंस पालिसी भी सरकार को निर्धारित करनी चाहिये। जब तक सरकार केन पालिसी निर्धारित नहीं करेगी किसान निश्चित रूप से आश्वस्त नहीं होगा। बीमारी से, बाढ़ से, सूखे से उसकी जो फसल मारी जायेगी उसको इससे कुछ पैसा मिल जायेगा इसलिये आप केन क्राप इन्श्योरेंस स्कीम बनाने की व्यवस्था करें। केन प्राइस कब तय होती है जब मिल खुलती है। जब मिल खुल जायेगी तब कहीं केन प्राइस फिक्स करने बैठेंगे सरकार। शुगर केन बोने के पहले ही आपको केन प्राइस फिक्स करनी चाहिये ताकि किसान यह सोचे कि केन प्राइस कहां फिक्स हुई है और यह हमारे फायदे के लिये है या नहीं। वह अपना बैठकर हिसाब लगायेगा। आप प्राइस उस वक्त फिक्स करते हैं जब वह परेशान हो जाता है। किसान हमेशा यही चाहता है कि उसका केन खेत में कहीं पड़ा न रह जाए, सूखने न पाये, वर्षा न हो जाए, उसका रस न

सूख जाए, वह मिट्टी के भाव न जाये, इसलिये वह जल्दी से जल्दी उसको बेच देता है और मुंह मांगे दाम पर दे देता है। इसलिये मेरा कहना है कि केन प्राइस फिक्स की जाए केन कंट्रोलेशन के पहले। ऐसी नीति बनाने की आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

शुगर केन एकट आपने बनाया। उस प्रोविजन को कोई भी स्टेट गवर्नमेन्ट लागू नहीं करती। अगर नहीं करती तो क्या आपके पास कोई पावर है कि आप उस एकट को लागू करवा सकें? शुगर केन एकट में यह प्रोविजन है कि 14 दिन के बाद, केन सप्लाई करने के बाद अगर मिल मालिक पैसा नहीं देता है तो उस पर केस चलाया जा सकेगा। क्या सरकार केस चलाने की अपने ऊपर जिम्मेवारी लेगी? उसको इन्टरैस्ट देने का भी इस केन एकट में प्रोविजन है लेकिन आज तक कही लागू नहीं हुआ। इसलिये किसान पुर्जों को लेकर बक्से में बन्द कर देता है, तबाह हो जाता है। आज भी लाखों लाख किसान अपने गांव में पुर्जों को लेकर बैठे हुए हैं। मैं अपने यहां की बात करता हूं कि तकरीबन 50 करोड़ से कम रुपया ईख का उनका इन पर बकाया नहीं है। मेरा जहां तक खयाल है, सरकार का यह खयाल है कि 147 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है लेकिन सारे देश के जो मिल मालिक है चाहें वे को आपरेटिव सेक्टर के हों, प्राइवेट सेक्टर के हों या स्टेट सेक्टर के हों, कारपोरेशन के हों, 200 करोड़ रुपये बकाया है। एक बार विसी मिल आनर्स एसोसिएशन के मालिक ने कहा कि इतना बकाया है लेकिन उसको भी किसी ने चैलेंज किया और कहा कि यह बात नहीं है। मेरा अपना खयाल है कि 200 करोड़ रुपये से कम आज भी उन पर बकाया नहीं है। भारत सरकार के अनुसार ही 147 करोड़ रुपया बकाया है लेकिन

जो मैगजीन निकलती हैं उसके अनुसार लगता है कि 200 करोड़ रुपये से कम बकाया नहीं है। इतना रुपया अभी तक किसानों को चुकता नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था रनेकजा रहे हैं? हमारे देश में कई शुगर मिलें ऐसी हैं जो किसानों को एरियर्स नहीं देती हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिये कि शुगर मिलें जब अक्टूबर में खुलने वाली होती हैं तो उससे पहले ही किसानों को उनके एरियर्स के पैसे मिल जाने चाहिए। आप जानते हैं कि जो मिल मालिक होते हैं वे किसानों को पैसा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि अक्टूबर, में शुगर मिल खुलने से पहले ही किसानों को उनका पैसा मिल जाय तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मिल-मालिक किसानों का पैसा नहीं देते हैं तो स्टेट गवर्नमेन्ट अपने एक्सचेंज से पैसा दे। आपने तो अच्छा किया कि आपने कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेन्ट चाहे तो यह पैसा केन्द्र से ले सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों आपने यह बात कही और कहा कि आप यह पैसा हम से ले लो और किसानों का पैमेंट करें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया, लेकिन बिहार सरकार के शायद इंडस्ट्री मिनिस्टर आए या अन्य कोई आया उन्होंने कहा कि अगर हम यह पैसा ले लेंगे तो हमारा प्लान का पैसा कट जाएगा, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। किसानों का पैसा उनकी पैमेंट किया जाना चाहिए। अभी कहा जाता है कि किसानों का दो सौ करोड़ रुपया बाकी है। जब किसानों की तकाबी के लिए पैसा देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। पर्सिपग सेट खरीदने के लिए लोन देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। इसी

[श्री रामानन्द यादव]

तब से दूसरे ऋण देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो पैसा किसानों का आपके पास बकाया है उस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं देते हैं ? मैं चाहता हूँ कि आप उस बकाया राशि पर किसानों को इंटरेस्ट दिलाने की व्यवस्था कीजिये ।

इस शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार ने किसानों के फायदे के लिए जो नियम बनाये हैं उनका ठीक प्रकार से पालन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इसमें सरकारी मालजिमों, अफसरों और मिल-मालिकों की मिली भगत होती है जिसकी वजह से कानून का ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। किसान बैलगाड़ी में अपना ईख ले जाता है और वह ईख 60 मन होता है तो वेइंग मशीन पर वह 40 मन दिखा दिया जाता है। इसमें कुछ माल तो कर्मचारी खा जाते हैं और कुछ इन्स्पेक्टर खा जाते हैं और कुछ माल ठेकेदार खा जाते हैं। किसान चार चार दिन तक अपनी गाड़ी में खड़े रहते हैं। उनके लिए वहाँ पर कोई पानी का इंतजाम नहीं होता है। इसी पैसे से किसानों का एरिया डेवलप किया जाना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं किया जाता है। फैक्ट्री के आस-पास का जो एरिया होता है उसको डेवलप करने का काम उस फैक्ट्री का होता है, सड़कों बनाने का काम होता है, लेकिन ये काम नहीं किये जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों की तरफ ध्यान देने की कृपा करें और किसानों के हित में जो कानून बनाये गये हैं उनको किसानों के हित में उपयोग में लाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ तहदिल से इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि

मिलों से पैसे वसूल करके आप उस एरिया के डेवलपमेंट पर उस पैसे को खर्च कीजिये। वहाँ पर सड़कें बनवाइये। किसानों के लिए गीने के पानी का इंतजाम कीजिये।

SHRI BISWA GOSWAMI (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir... (Interruptions).

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) :
रामानन्द जी आप लोक दल की बात करते हैं।

श्री रामानन्द यादव : लोकदल यकोलदल हो गया है। चोराहे पर खड़ा है और देख रहा है कि किधर जाय किधर जाय। (व्यवधान) ... मैं मुरादाबाद और संभल गया था भानुप्रताप सिंह जी के टाइम में, चौधरी चरण सिंह के टाइम में और मैंने वहाँ देखा था कि किसानों के खेत जले हुए हैं।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री
(श्री कल्पनाथ राय) : लोकदल किसानों का दुश्मन है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : कल्पनाथ जी लोकदल के स्पीकर हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष कुमार साहू) : हुक्मदेव जी मत कहिये ।
No cross-talk, please.

SHRI BISWA GOSWAMI: Mr. Vice-Chairman, Sir, while welcoming the amendments sought to be made through this Bill, I want to make certain observations.

Sir, the Levy Sugar Price Equalisation Fund Act was promulgated in 1976. As a result of certain writ petitions filed before the courts and the refusal of the sugar producers to refund the excess charges, the Act was passed. Today, after eight years, these amendments have been brought forward. And in this Bill also, Sir, the 'levy sugar' has been defined as—and I quote—"levy sugar" means the

sugar requisitioned by the Central Government under clause (f) of subsection (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955." Sir, it took 12 years for the Government to properly define levy sugar. And this inordinate delay in bringing forward these amendments and plugging the loopholes in the Act have harmed both the consumers and the sugar-cane producers. And these loopholes would not have been there had the Bill been brought forward after carefully examining the provisions long time back. In a casual manner this had been dealt with. And it is after eight years that these defects are sought to be rectified.

Sir, the sugar production in this country has declined. There was a bumper production of 82 lakh tonnes, and in the last sugar year, it has come down to 58 lakh tonnes. What is the reason behind this? We are importing sugar. What is the reason that the sugar production has gone down? It is because of the fact that sugar-cane growers are not getting remunerative prices on the one hand, and on the other the sugar-cane growers are yet to get their dues from the mill-owners. About Rs. 154 crore which is due to the sugar-cane growers is yet to be paid by the mill-owners. This point has been made by the previous speakers, including Shri Ramanand Yadavji. And this has adversely affected the interests of the sugar-cane growers. As a result of that, they have lost the incentive and consequently the production of sugar-cane has gone down. Then, Sir, coming to the price of sugar, during the last three or four years the price of sugar has increased and even recently also there has been an increase in the price of sugar. Sir, the sugar policy of the Government has failed to benefit the poorer sections of the people. There are two prices of sugar, the levy sugar price and the open market sugar price. Taking advantage of these two prices in sugar, the businessmen and pro-

fiteers they always deceive the consumers and particularly the people living in the urban areas, the affluent section, they only are getting the advantage of levy sugar. In the rural areas you won't get levy sugar. Even in the fair price shops levy sugar is not available. When a consumer goes to a fair-price shop in the rural areas to purchase levy sugar, he will be told that levy sugar stock is not available and the open market sugar is available. That means that the shopkeeper will sell to him the levy sugar at open market prices. So, the Government has given scope to the traders to deceive the consumers. By this two-price system the consumers are not at all benefited, particularly the common people, the poorer sections of the people and the people living in the rural areas. The Government should look into it and see as to what can be done to protect the interests of the common man in this country.

Sir, these problems cannot be solved by depending on these mill owners. There is only one way to solve these problems and that is nationalisation of sugar industry. Sir, I am aware that the hon. Minister is progressive person. I know it. And, I believe and I hope that he will come forward for total nationalisation of the sugar industry. Unless and until that is done, both the consumer and the producer of sugarcane and also the Government will find themselves in difficulties in the hands of these mill-owners. You cannot control prices. You cannot increase the production of sugar. You cannot ensure the regular supply of sugar in the rural areas unless and until you have got control over the production of sugar. That means these mills should be in your hands. Otherwise you cannot control the prices and you also cannot have control over the production of sugar.

Therefore, Sir, I would urge upon that Minister that he should take the necessary steps and immediately bring forward a Bill for total nationalisation of the sugar industry. And, it

[Shri Biswa Goswami]

will be in consonance with the declared policy of their party also because the Congress (I) Party prefers to believe in socialism. So, if they really believe in socialism, let them come forward to introduce nationalisation in the field of sugar industry.

Sir, then I want to know from the hon. Minister as to what steps he will take for payment of the arrears of sugarcane growers. Will he direct only the State Governments to see that those dues are paid or will he take some other steps also to see that these dues which amount to something like Rs. 154 crores to Rs. 200 crores, are paid to the sugarcane growers? The hon. Minister should take immediate necessary steps so that the sugarcane growers get their money. Secondly, Sir, the question of availability of levy sugar in the rural areas should be taken up seriously and the Government should see that levy sugar is available to all, particularly to the poorer sections of the people.

In the end, Sir, I once again request and urge upon the hon. Minister to come forward with a Bill for nationalisation of the sugar industry.

श्रीमती प्रेमिलाबाई दाजीसाहेब चव्हाण
(महाराष्ट्र) : वाइस चेंबरमैन सर चीनी हमारे देश का बहुत बड़ा साधन है जिससे हमारे देश ने तग्वकी की है, और चीनी उत्पादन की टेक्नालाजी में भी बहुत सुधार किये हैं। आज हमारा भारत चीनी उत्पादन में एक बहुत बड़े पैमाने पर गिना जाता है। अभी जो कीमत की चर्चा चली है तो उसके लिए मैं एक सबमिशन करना चाहती हूँ कि कीमत फिक्स करने में सरकार को भी बहुत शिक्कत आती है। सबसे पहली दिक्कत यह है कि जहाँ जैसी चीनी का उत्पादन होता है वहाँ उसके ग्रेडेशन

पर भी निर्भर होता है तथा भूमि, पानी और काश्तकार की मेहनत इन पर सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन निर्भर रहता है। आज यह हवाग बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारे महाराष्ट्र में इस उद्योग की बहुत ही बढ़त हुई है और उत्पादन करने के लिए कई साधन बने हैं। देश में यह भी चर्चा है कि महाराष्ट्र का काश्तकार सबसे ज्यादा मेहनती है और शुगर टेक्नालाजी भी उन्होंने बहुत अच्छे पैमाने पर स्वीकार कर ली है। चीनी को प्राइस के फिक्सेशन में गये साल भी बहुत चर्चा हुई थी कि यू.पी. में जो चीनी पैदा होती है उसको उत्पादन शुल्क ज्यादा देना पड़ता है जबकि हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी पैदा होती है तब भी हमारी चीनी को लेंको प्राइसेज वगैरह सब कम दिया जाता है। इसलिए मुझे सरकार से यह निवेदन करना है कि यह बात दूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज्यादा चीनी, अच्छी चीनी पैदा होती है और इसको पैदा करने में जो कष्ट होता है जो साधन लगते हैं उनके प्राइसेज तो कम नहीं हैं खास तौर से जब हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत ही महंगाई बढ़ो जा रही है सभी चीजों के दाम बढ़े हैं। पानी के दाम बढ़ गये हैं, खाद के दाम बढ़ गये हैं, जो काश्तकार मेहनत करते हैं उनके भी डेली वेजेज में बढ़ावा हो गया है। इन सब बातों का विचार करते हुए मैं यह कहना चाहती हूँ और आज सुबह भी मैंने प्रश्न किया था कि जो चीज जहाँ होती है वहाँ उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मैं समझती हूँ कि पंजाब का गेहूँ सबसे अच्छा होता है तो पंजाब का गेहूँ हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा पैमाने पर पैदा करके फिर बाहर भेजा जाये। इसी तरह हमारे यहाँ चीनी जहाँ बहुत पैदा होती है। उसके कष्ट करने वाले और टेक्नालाजी यूज करने वाले

लोग बहुत प्रख्यात हैं तो वहां चीनी का उत्पादन करने में कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इस साल हमारे यहां यह प्रश्न है कि हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत से नए कारखाने होने जा रहे थे। गये साल हमारा 4 लाख टन गन्ना बचा जो हम क्रश नहीं कर सके फिर भी नये को परमिशन नहीं दी। हमारे यहां एक दूसरी भी पद्धति ऐसी है कि हम बाहर का गन्ना लेते थे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्रश करके अपना एक्सपैशन भी मांगते थे। लेकिन अब जब पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ना भी था सुविधा भी थी एक्सपोर्ट लोग भी करने वाले थे तो हमारे यहां जो 10 नयी फैक्ट्रीज लगाने के लिए मांग की गयी थी दुर्दैव है कि हमारी उन फैक्ट्रियों को गये साल लाइसेंस नहीं मिला। अभी जिस महाशय ने बताया कि हमारी चीनी की बहुत घटोत्तरी हो गयी है तो इसका कारण यही है कि गये साल लोगों को अच्छे दाम नहीं मिले हैं इसलिए इस साल गन्ना ज्यादा नहीं हुआ है लोग बहुत निराश हो गये हैं और उन्होंने जो कर्जा लिया था वह भी चीनी उत्पादन में से नहीं चुका सके हैं। इसलिए बहुत सा नुकसान भी हो गया और यही कारण कि इस साल एकदम 20 लाख टन की कमी हो गयी है और हमको बाहर से चीनी मंगानी पड़ी है। इस मामले में पहले से मेरा विरोध है और मेरा कहना है कि जब तक हमारे यहां ज्यादा और अच्छी चीनी पैदा हो सकती है और हमारे यहां काश्तकार एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं तो उन्हें रोकना ना जाये। जो लाइसेंस वगैरह मांगते हैं उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लाइसेंस दी जानी चाहिये। तो मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि प्राइस फिक्सेशन पर भी विचार करना चाहिए, काश्तकार का विचार करना चाहिए। उसको जो वह

भूमि में उत्पादन करता है, वहां क्या कठिनाइयां होती हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए।

मैं आपको यह बताना सकती हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सतारा की चीनी भारत में नम्बर एक की चीनी पैदा करने में मशहूर है। इसी जगह आप और भी ऐसी फैक्ट्रीज लगाए, तो गन्ने की कुछ कमी नहीं है और मुझे उम्मीद है कि हम अपने देश की तो चीनी पूर्ति करेंगे ही, और हम बाहर भी भेज सकेंगे।

तो मेरी यही विनती है कि पहले चीनी की प्राइस फिक्सेशन होनी चाहिए। लेवी प्राइस से जितना भी चीनी का उत्पादन होता है, उसकी कीमत योग्य कीमत न मिलने से सभी का नुकसान होता है, काश्तकार का नुकसान होता है, और अपने देश का भी नुकसान होता है। इस वक्त भी मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आज हमारे को अपनी चीनी उत्पादकों को प्राइस बढ़ा कर के देनी है और उनकी सब बातों का ख्याल करना है और खाद को भी कम प्राइस से कैसे दिया जाए—कहीं-कहीं तो खाद की व्यवस्था भी की जाए सरकारी तौर पर।

हमारे यहां ऐसे एक्सपर्ट्स लोग हैं कि वे उत्पादन में भी बढ़ावा कर सकते हैं। इसके लिए मुझे एक सुझाव देना है कि अभी अपने प्रदेश में, अमरीका में जो इलेक्ट्रानिक सिस्टम है, कम्प्यूटर सिस्टम है जो वहां कारखानों में इंट्रोड्यूस किया गया है, वह भी हमारे यहां हो सकता है। हमारे देश में उसके एक्सपर्ट आ गये हैं उसके प्रयोग के लिए। बंगलौर में गये साल इसका एक आध-वेशन हुआ था, उसमें चर्चा भी हुई है कि हमारे देश में कम्प्यूटराइज्ड और इलेक्ट्रानिक सिस्टम से चीनी उत्पादन के लिए और कारखानों के लिए

[श्रीमती प्रेमिलाबाई दाजीसाहेब चव्हाण]
व्यवस्था होनी चाहिये गन्ना तोला जाता है, उसमें बहुत सी गड़बड़ होती है और उत्पादकों को जितनी प्राइस मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको यदि इन कारखानों में हमने कम्प्यूटराइज कर दिया, तो हमारी मेहनत भी बचेगी और चोरी भी होती है वह भी नहीं होगी। तो सरकार से मेरा यह भी सुझाव है कि जितनी भी फैक्ट्रीयां माडर्नीजेशन कर सकें, उतनी करें हमारे कारखानों को भी माडर्नाइज करने से और नये कारखानों को लायसेंस देने से हमे बाहर से चीनी मंगवाने की नौबत न आए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री जगन्मोहि प्रसाद यादव (बिहार) :
माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक सवाल यह जो दोहरी मूल्य नीति है, इस पर उठाना चाहता हूँ। 1977-78 या 1978-79 में जब दोहरी मूल्य नीति को समाप्त कर दिया तो भारतवर्ष में पहली बार जब से मूल्य नियन्त्रण की बात चली है, उस समय से पहली बार उपभोक्ता को दो-अड़वाई रुपये किलो मनमाना चीनी मिलती रही।

तो यह बात प्रमाणित हुई कि अगर दोहरी नीति को समाप्त कर दिया जाए, तो उपभोक्ता को चीनी का मूल्य कम देना पड़ेगा और जितना चाहे, मिलती रहेगी, यह बात प्रमाणित होने के बाद फिर शासन में दोहरी नीति क्यों आई?

हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम 65 प्रतिशत लैबी शुगर लेते हैं, 35 प्रतिशत

उनको फ्री छोड़ते हैं। यह मात्र छलावा है। यह हिसाब कम्प्यूमर्ज नहीं ले सकते, इसलिए कि उनकी कोई संस्था नहीं है। मिल-मालिकों की संस्था है, मिल-मालिकों के पास व्यवस्था है, वह 65 प्रतिशत को 35 प्रतिशत में बदलता है और 35 प्रतिशत को 65 प्रतिशत में बदल लेता है।

मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसका किस प्रकार से लेखा-जोखा लेते हैं, मिल से लेकर दुकानदार तक—इसलिए कि वह हर जगह पर इसकी बदली होती है। इसलिए ये दो सवाल बड़े महत्व के हैं जिनका मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जहाँ तक छोटे से संशोधन की बात है अगर किसी चीनी वालों ने अधिक दाम लिया है तो सूद सहित उनसे रुक्या लौटा दिया जाए। यह महज इसी के लिए स्वीकृति की बात है, वह लेना चाहिए। लेकिन यह एक अवसर प्रदान करता है सदन को कि चीनी के हर पहलू पर विचार किया जाए और जब चीनी शब्द आता है तो चीनी का कच्चा माल तैयार करने वाले भी उसके आगे आ जाते हैं। चीनी बनाने वाले हैं, सरकारी हैं, सहकारी हैं, निजी हैं। लेकिन इन तीनों को जो कच्चा माल देने वाला किसान है जब कानून की बात आती है तो जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि किसान के लिए कानून नहीं बनता, अगर बनता है तो लागू नहीं होता। उपभोक्ता के लिए कानून नहीं बनता, बनना भी है तो उसका पालन नहीं होता। लेकिन जो कानून चीनी मिल वालों के लिए बताना है वह उनके विपरीत ही क्यों नहीं बनता? उनमें कोई ऐसा लूणहोल या कमी छोड़ दी जाती है जिससे वे उसका पूरा-पूरा लाभ लेते हैं। मंत्री जी से भी, विभाग से भी और कचहरी से भी, उसका सारा पैसा ले लेते हैं, क्योंकि उसके पास साधन है उसको लेने का। इसलिए कानून बने।

श्री भागवत झा आजाद : क्या आप अपने अनुभव से कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं मंत्री भी था, मैं वकील भी हूँ, मैं किसान हूँ, लेकिन चीनी मिल मालिक नहीं हूँ ।

श्री भागवत झा आजाद : आपसे भी नहीं लिया, हमसे भी नहीं लिया । . . . (व्यवधान)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सुनिए, मुझे यह भी पता है, जब भी यह प्रस्ताव श्रीमान, किया कि क्यों न आदेश दीजिए कि चीनी की दोहरी नीति को हटा दें तो माननीय जगजीवन राम जी ने कहा कि यह समझता नहीं है कि इसका असर क्या होगा ? हमने कहा कि अगर असर खराब होगा तो दोहरी नीति बना लीजिएगा । लेकिन हमने देखा उसका असर दूसरे दिन हुआ वह उपभोक्ता को सुविधा मिली लेकिन शूगर के जो बिग मैनेजर्स थे उन्हें परेशानी हुई । उन्होंने हमें उस इलैक्शन में बदल दिया । यह होशियार हैं । इसीलिए अनुभव की बात ही कहता हूँ कि अनुभव हम किसके लिए करें किसान के लिए, उपभोक्ता के लिए या मिल मालिकों के लिए ? कानून किसके लिए बनाएं, उपभोक्ता के लिए, किसान के लिए या मिल मालिक के लिए ? अब छोटा सा मैं मिल मालिक का, किसान का मैं बताता हूँ । एक पच्ची की बात होती है । किसान को एक जो पच्ची दो जाती है एक मैन्युअल है कि 14 दिन के भीतर उसका उसे पैसा मिल जाना चाहिए । 14 दिन के भीतर उसको पैसा नहीं मिले तो उसको उसका पैसा सुद सहित मिले । लेकिन क्या मिलता है ? उसको एक भयंकर स्थिति है । एक सौ रुपये पर पच्ची जो मिलती है, किसान बेवश है उसको 65 और 55 रुपये में बेच देने

के लिए, कि किसी प्रकार वह 65 और 55 रुपये में वह सौ रुपये का मिल जाएर क्या मंत्री जी ने इस पर कभी विचार किया है । क्या कभी कानून या उसका पालन करने को आप कह सकते हैं ? इसके लिए आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार है । लेकिन राज्य सरकार का तो हर चीज में हमारे साथ तालमेल बैठेगा । तो जब तक इस बात की व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे हम समझें कि किसान को सहूलियतें मिली है ? अब गवों में जो फंड आपने बनाया है इसके लिए तो क्यों नहीं एक ऐसा फंड बनाएं जो सैकड़ों करोड़ों रुपया जो किसानों का बकाया है उसकी वसूली हो । कोई तो कानून ऐसा बने कि जिसमें किसानों का बकाया न रहे । मैं देखता हूँ मंत्री बदलते हैं, मुख्य मंत्री बदलते हैं तो किसानों के लिए वे कुछ बात बोलते हैं । अभी-अभी हमारे यहां के सहयोगी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने तो मैंने उनकी घोषणा सुनी है कि वह मिल मालिकों को रुपया देंगे और वे किसानों का रुपया चुका देंगे । बड़ी अच्छी बात है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि मंत्री जो कम से कम इसी आधार पर सभी राज्यों को आग्रह करें कि भाई, इस तरह अगर उत्तर प्रदेश व्यवस्था कर सकता है, जो कि गरीब है, तो क्यों नहीं बिहार और महाराष्ट्र भी कर सकते हैं । यह एक रास्ता आपको मिलता है । अगर किसानों की आप यह चुकती कर दो तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा यश आपको क्या मिलेगा । मैं तो एक बात और कहूंगा कि मंत्री जी आप बिहार से आते हैं और बिहार के लोगों में तेज-तर्रार में आपका नाम भी है । बिहार, उत्तर प्रदेश एक जमाना था, सारे हिन्दुस्तान को चीनी देता था । लेकिन आज उसकी सारी मिलें, जैसे बाबे और अहमदाबाद की सारी मिलें कपड़े की हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार में यह बड़ा उद्योग

[श्री जगदम्बो प्रसाद यादव]

और पुराना उद्योग आज मर रहा है, उसकी मिलें जर्जर हो रही हैं, रिकवरी कम हो गई है, मिल की भी हालत खराब है।

जहां तक कृषि विकास की बात है। किसान के खेत में अच्छा उत्पादन हो, उसमें पर्याप्त फर्टिलाइजर हो, उसके बीज विकसित हों, उसकी पर्याप्त देखभाल हो और अनुसंधान हो, यह मांग चली। क्या हमारे मंत्री जी नहीं चाहेंगे कि उनके जमाने में बिहार, उत्तर प्रदेश का कल्याण हो। अब इन्हीं के जमाने में महाराष्ट्र तमिलनाडु आगे बढ़ता जा रहा है चीनी उद्योग के मामले में, जब कि उसने नया काम शुरू किया है। चीनी के उत्पादन में भी उनकी रिकवरी आगे बढ़ रही है, चीनी मिल आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारी माननीय सदस्या ने कहा कि चीनी और मिलें खोलने के लाइसेंस मांगे जा रहे हैं, जबकि हमारे बिहार की चीनी मिलें जर्जर हो रही हैं। आखिर ऐसी स्थिति का निराकरण कौन करेगा? अगर आप निराकरण नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के योग्य, इस तरह के समझदार और कुछ करने वाले मंत्री हमको मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपकी कुछ बात इस ओर हो, जिससे कि हम समझ सकें कि हमारे मंत्री जी सचमुच में बिहार को लाभान्वित कर सकते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मंत्री जी यह जरूर बता दें कि किसानों की अद्यतन बकाया है हर मिलों पर और उस किसान बकाया सूद समेत मिले, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। बिहार में स्थिति यह है, जब दौरा करने जाते हैं, तो किसान जब चीनी की पेराई शुरू करता है, तब उसको दूसरे साल का पैसा देना शुरू किया जाता है और सूद का सवाल खतम कि इसलिए

किसान, जिसको पैसे की नितांत आवश्यकता होती है, वह सौ रुपए की पर्ची को 65 में या 50 में बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसी प्रकार से सरकार इस व्यवस्था को ठीक करे।

[उपसभाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली)
पीठासीन हुए]

अब एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि गत वर्ष भारत सरकार ने चीनी का निर्यात किया यह कहकर कि चीनी बहुत हमको हो गया है। सरकार जब नीति निर्धारित करती है तो एक वर्ष आगे और एक वर्ष पीछे का भी विचार करती है। यह इसलिए करती है कि हमारे यहां मानसून का हिसाब, पता नहीं कभी अच्छी वर्षा हो गई और कभी बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, तो आपने इन वर्षों का भी हिसाब नहीं किया। मैं उसकी भी बात छोड़कर पूछता हूँ, उस चीनी के निर्यात में हमें कितना नफा हुआ? हमने किसी पत्रिका में पढ़ा कि भारत सरकार को 130 करोड़ रुपए का घाटा हुआ? स्थिति क्या है, आप तो बता सकते हैं? साथ ही इस बार जो आयात किया है, उस पर भी किसी की कामेंट है कि आयात यहां के बफर स्टॉक के लिए नहीं बल्कि आयात इसलिए किया गया है कि भारत सरकार का निर्यात के समय कुछ देशों से कमिटमेंट रह गया था और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए यह भारत सरकार ने आयात किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आयात निर्यात की जो एक रंगीन कलर दिया जाता है ऊपर तक कि अधिक चीनी हो गया, इसलिए निर्यात करने चले गए और कम हो गया, तो आयात करने चले गए। अब आप निर्यात करने गए थे, तो 130 करोड़ का घाटा देने के लिए, आप यह बताएं? अगर घाटा होता तो यह क्यों

करते । हमें एक साल पीछे की जानकारी रखकर हिसाब करना चाहिए था । हम एक साल में ही आयात करने के लिये तत्पर नहीं हो जाते । अगर आयात किया है तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए किया है क्या ? माननीय सदस्या भी कहा और मैं भी कहना चाहता हूँ अगर भारत सरकार यह गोचरी है कि हमारे देश में चीनी की अधिक आवश्यकता है, तो इसको पूरा करने का भी उपाय है, आप किसान को सहयोग दें :

4.00 P.M.

आप किसान को सहयोग दें । कम से कम उनका बकाया पैसा उनको लौटवा दें । अगर सौ, डेढ़ सौ करोड़ रुपया बकाया है तो आप उसे सूद समेत लौटवा दें । इसके लिये आप यशस्वी होंगे और अगर इससे अधिक चाहते हैं तो उनको कुछ अनुदान दे दें । जो बाहर के मिल मालिकों को आप पैसा देते हैं अगर उसका आधा पैसा भी किसानों पर खर्च कर दें, यहां के उत्पादन पर खर्च कर दें तो आप को अभी भी चीनी मिल सकती है और यहां भी चीनी का उत्पादन बढ़ सकता है । लेकिन इसके लिये कभी सोचा नहीं गया है । जिस समय देश में अनाज की कमी थी उस समय हमने कहा था कि अमरीका के किसानों को जो रेट आप देते हैं वही रेट यहां के किसानों को क्यों नहीं देते हैं । तो भारत सरकार इस पर विचार करे और अगर इस पर आप विचार नहीं करेंगे तो फिर आप को दूसरे विचार में क्या मिलेगा ।

जहां तक लेवी चीनी समान कीमत निधि का जो यह विधेयक है, इसका सम्बन्ध है, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जो रुपया उन में वसूल किया जायेगा तो वास्तव में यह रुपया तो सरकार का नहीं है । वह रुपया तो कन्जुमर का या वह रुपया है रिटेलर का । तो जब फंड तैयार हो जायेगा तो वह रिटेलर्स को या कन्जुमर को कैसे और किस रूप में

मिलेगा । क्या आप उसको अनुदान में देंगे या उनको चीनी में ही कुछ अनुदान दे देंगे । आप इस बारे में कुछ ऐसी साफ बात बताइये कि जिस से पता लगे कि वास्तव में जिनका वह पैसा है उनको वह पैसा लौटाया जायेगा । इसी लिये मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में सफाई करें तो वह हमारे लिये और किसानों के लिये अच्छा होगा ।
(समय की घंटी)

उपसभापति जी का आग्रह है इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैंने जो मुद्दे उठाये हैं, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उनका जवाब दें । इसमें तीन बातें हैं । एक तो वे किसानों के लिये कौन सी सुविधाजनक बात करेंगे । उनका जो बकाया है या जो व्यवस्था है रिम्यूनरेटिव प्राइस की या प्राइस फिक्सेशन के टाइम की उसमें क्या कुछ सुधार लाया जायेगा । दूसरे आप चीनी मिल मालिकों से उनका बकाया कैसे वसूल करेंगे । आप यह कह कर नहीं निकल सकते कि यह सेस का मामला दें । चीनी को पैदा करने वाले भी उसमें होते हैं । फिर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कहानी है उसको क्या आप साफ करेंगे । यह अतिआवश्यक है । और अन्त में मैं चाहूंगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो चीनी की मिलें हैं उनमें पैदावार घटती जा रही है और अगर ठीक ठीक उनका कोई इन्तजाम नहीं किया गया तो वह मरती चली जायेगी और अगर आप के रिजिम में उन में कोई सुधार नहीं हुआ तो पता नहीं आये क्या होगा । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस सब पर प्रकाश डालें और कुछ व्यवस्था दें ।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill. Actually this Bill is or the Levy Sugar Price Equalisation Fund which is meant for the distribution of levy sugar at uniform prices. Sir, while parti cipating in the discussion on this

(Shri Vithalrao Madhavrao Jadhav)
 Bill, I would like to say that there is a very basic principle of economics. The basic principle of economics is production, consumption and satisfaction. So here, in the case of sugar and sugarcane, the producers are the farmers and consumers. Seventy per cent of our population is dependent upon agriculture. So, the consumer is also the farmer and, ultimately, the man who produces and the man who consumes must be satisfied. But unfortunately, what we have seen in the infrastructure of the country is that the long, traditional grievance of our agriculturist is that he is not getting remunerative prices for agricultural commodities. Sir, on the floor of the House on 27th April, 1984, I had brought a Calling Attention about the remunerative prices for agricultural commodities. From that point of view also I would like to discuss some more points about sugar. Before coming to these details, I would like to make some pertinent points about sugar production. Sugarcane yield is dependent upon various climatic factors, the most important of which is the solar energy and availability of water. When we compare Sugar production in India and in other parts of the world like Jawa, Sumatra, Hawali, Mauritius and various other places, we find that whereas there sugarcane production is about 250-350 tonnes per hectare, here it is not more than 100 tonnes per hectares. In north India the yield comes to about 25 tonnes per hectares. In Maharashtra, with the very progressive cultivators, it comes to 100 tonnes per hectare. Why is there a difference? In spite of the scientific and technological development in sugar crops and various varieties having been evolved by the Coimbatore Agricultural Research Station, in Maharashtra also we are having different varieties such as 740, 775, 778, 22,165, the high yielding varieties—our sugarcane production is going down; it is getting lower every year. What is the reason? There is the economic reason. We are not going to

give the farmers remunerative prices. That is why farmers are getting less attracted towards sugarcane production. Sir, sugar is a sweet item. But when prices are not given properly, it becomes sour. When the farmers suffer badly, it becomes bitter in taste. So like this, this is the fate of sugarcane production in our country.

In Uttar Pradesh and Bihar there are sugar mills which are run by private mill-owners. In Maharashtra 68 sugar factories are there in the co-operative sector. Every year we have to discuss this problem in the House. People from these Benches as from the other side complain that there are huge amounts as dues from the mill-owners. What is the reason for this? When a mill-owners, a private entrepreneur starts an industry, he wants to extract more profit, he wants to extract more butter from the project at the cost of exploitation of the poor farmers of this country. Now this system must be changed.

Sir, I am very proud to tell you that in Maharashtra there are 68 co-operative sugar factories. Out of these, 52 are running in profit and only 16 sugar factories there are in loss. Now I will come to the point of loss. Because the recovery of these 16 or 17 sugar factories is very low and we have given uniform prices for all. When we come to Uttar Pradesh and Bihar, the prices are Rs. 22-23 for 8.5 per cent recovery for one quintal of cane; and for Maharashtra, it is 13.5 per cent. In Maharashtra, what is the recovery? It is less than 10 per cent in my area. In Premila auntie's area the recovery is more than 12 per cent. In some other areas, Poona, Jalgaon and other areas, recovery is 10-12 per cent. The people of Maharashtra have been demanding for a long time that they must have three different zones. There is a demand from the Maharashtra Government which they have given in this book. They have given the proposal to the Central Government for having different zones. In the high zone come Kolhapur, Sangli, south Satara district. In the medium zone come Ahmednagar,

Poona, Sholapur, Nasik and north Satara districts. And in the low zone are the Marathwada and Vidarbha regions, Jalgaon and other districts. It has been recommended by the Government of Maharashtra to the Central Government several times, but the Central Government is not taking action on that. The hon. Minister has stated that an expert committee was appointed, but that committee is not agreeable to it. I would like to tell you that I am M.Sc. in Agronomy and my topic of research was sugarcane. I have guided so many post-graduate students of sugarcane and from that point of view when I go to agricultural areas and find the different agro-climatic zones, I find that it is pure injustice. What type of technical experts are there with the Ministry? They are all the while recommending that they should not accept three zones in Maharashtra. Why should the farmers suffer? And at whose cost? Because one farmer is getting more than Rs. 22/- per quintal and another farmer Rs. 13.50 per quintal. Apart from that, Sir, even though the cost of sugarcane cultivation has gone up very high.

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH (Maharashtra): Already zones are existing in U.P., different zones for different recoveries.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: The cost of cultivation of sugar-cane has gone up very high in Maharashtra, I have stated in this House, to Rs. 30 per quintal. That is the cost of cultivation for 10 per cent recovery of sugar. This is the average in Maharashtra. That means, how much it will come? Rs. 300 per tonne. And how much are the farmers getting? Rs. 135 for 8.5 per cent recovery. That means Rs. 180 per tonne of sugar-cane. So, Sir, the farmer is the only individual in this country who is in loss, who is suffering for generations together. When are we going to give them economic and social justice?

I am proud to say that after we have come to power, our Congress (I) Government came, we have given to the

farmers at least the price of Rs. 180 per tonne. But before that when the Janata Party was in power, only Rs. 70 per tonne were given. Rs. 6 per quintal were given by the Janata Party Government. And so many farmers, including myself, have burnt our sugar-cane crops. I have burnt sugar-cane crop in three acres in my field. But we are not satisfied. We want to give social and economic justice to the farmers of our country.

Now coming to India's production today, it is 40 per cent less than what it was two years back. Totally we could produce 82 lakh tonnes of sugar then. This year we could produce only 59 lakh tonnes of sugar. The hon. Minister has stated in the House that we have got a carry-over stock of about 39 lakh tonnes. That means, 59 plus 39, we have got total sugar stock of 98 lakh tonnes. As a precautionary measure they have imported 35 lakh tonnes from other countries. I do not know at what cost we have imported that sugar. But I would like to suggest..

SHRI ASHWANI KUMAR (BIHAR): The cost is a Commercial secret.

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH: The cost was disclosed by the Minister in this House when he was replying to a question the other day. It is not a secret. It was disclosed in the House.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: That is not actually my problem, what my hon. friends from the Opposition parties spoke. What I would like to say in this House is that we must have such a policy for five years continuously, and for five years, I must say, we can have remunerative prices to the farmers, we can have such quota for export, we can have such quota for import or we must have such quota for the home consumption. If we can adopt that policy, I am sure that the total requirement of this country can be met by only the Maharashtra State. They have brought, the farmers of Maharashtra only have brought, this year 30 lakh bags of sugar. If you can give them a remuneration...

[Shri Vithalrao Madhavrao Jadav]

rative price, they can do so, I am assure in this House on behalf of the Maharashtra State.

Now, what are the number of co-operative sugar factories? There are 68 sugar factories in the co-operative sector, 13 sugar factories under process and 11 sugar factories in the private sector. And some 13 or 15 licences have already been sanctioned by the Government of India. That means, there will be totally 100 sugar factories. Even though the Government of India says that Maharashtra has got all the sugar factories, Sir, in only one area in Maharashtra where the Gaekwadi Project is there, the present Defence Minister and the former Irrigation Minister of Maharashtra has publicly stated that there was potential for 25 sugar factories in the Gaekwadi Command Area alone. Likewise, there is the Upper Penu Ganga, there is Wardha, and there are so many other projects in Maharashtra. There is recovery. I have stated about the solar energy and the availability of water. We have got the highest energy. We have optimum day light, optimum intensity of the sun light. That is why this sugar recovery is important because I am a technical person. The sugarcane formation starts in the month of July and ends in the months of October-November. During that period whichever area gets more solar energy it can have more recovery of sugar. That is the principle behind the sugar production. In the Kolhapur area recovery are very high because of direct access to the climatic factor and solar energy. So, from that point of view I demand in this House that whatever projects are pending with the Central Government for issuance of licences must be cleared. I know that the Hon'ble Minister cannot include them in the Sixth Five Year Plan because this is the last year of the Six Five Year Plan. I request, in the interests of the farmers, the Hon'ble Minister to clear the projects because these are the farmers projects,

and include the same in the Seventh Five Year Plan.

Maharashtra is the only State where Rs. 2,000 crores is being circulated in the rural areas through this sugar industry business. At least from this point of view, the Central Government should clear the projects pending with them.

Sir, before I conclude my speech, I would like to mention about my district, Nanded. In this district there were two sugar factories and subsequently one sugar factory had become sick. Why it has become sick three years back? Because there were overdues amounting to Rs. 60 lakhs. So, the Government had taken a decision to appoint an I.A.S. officer to recover overdues. But after his assuming office he has created Rs. 3.60 crores because the public representative had some urge or interest for that sugar factory and he had something in his mind that farmers were suffering, that is why the dues which were Rs. 60 lakhs have now increased to Rs. 3.60 crores. The sugar factory installed at the cost of Rs. 1.75 crores has now become sick and as a result the dues have mounted to Rs. 3.60 crores. Although the cost of sugar factory has gone up more than Rs. 10 crores, the Government of India have taken a decision to sanction the sugar factory projects which can crush 1500 tonnes per day only. Earlier it was only 1250 tonnes per day. For setting up a 1250 tonnes per day sugar factory it used to cost Rs. 10 crores and now it has gone up to Rs 12 crores and more. That means we have to increase the share capital more than Rs. 1 crore. Now, Many people who are contemplating to instal sugar factories in the cooperative sector are having second thought because of increased share capital from Rs. 1 crore to Rs. 1.1 crores. So if the Government of India allows the farmers of Maharashtra to instal 1500 tonnes per day sugar factories please for God's sake don't increase the share capital. Otherwise the far-

mers will suffer and no sugar factories will come up.

Another very important thing, I would like to mention is time-limit for the installation of sugar factories, is 39 months. I think some time back this point was raised in this House. After procuring a license there are so many things to be executed. For example installation, collecting shares, taking the capital from the State Government and some banks, etc. So, this 39 months for installation period is not sufficient and it should be increased to 60 months so that a person can very easily instal a sugar factory.

Sir, I will take only half-a-minute to conclude.

Five projects of the paper industry which are based on the sugarcane bagasse, have not been cleared by the Centre. Unless these by-product industries of sugar are encouraged, the sugar industry will not be economic. The by-product industries of sugar are saccharine, alcohol, etc. While giving the sanction for setting up sugar factories the Government should also keep in mind the question of encouraging by-product industries of sugar so that this sugar industry will be economic. It should not be sour or bitter it will remain sweet.

With these few words I conclude my speech.

श्री राम नरेश कुशवाहा : (उत्तर प्रदेश) :
माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि लैवी की चीनी की जो कीमत है उसके संबंध में जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, रिकवरी के आधार पर फैक्ट्री की जितनी अधिक रिकवरी होने वाली है उसका उसमें उतना ही लाभ होगा और जो जितनी कम रिकवरी वाला है उसमें उतना ही घाटा होगा। माननीय मंत्री जी बिहार के रहने वाले हैं, बिहारी हैं। ये गगन बिहारी नहीं हैं, ये कुंज बिहारी हैं। गली-गली घूमकर नेता बने हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी के ऊपर दो बंधन हैं, एक तो यह कि वे सत्तारूढ़ दल में

हैं और दूसरे मंत्री हैं नहीं तो जो मैं कह रहा हूँ वही माननीय मंत्री जी भी कहते हैं, जो आपकी नीति है उससे उत्तर प्रदेश और बिहार की सारी चीनी मिलें बैठ जायेंगी। मान्यवर, गन्ने के मामले में कितना जाल-बट्टा है। ये गन्ना विकास विभाग तमाम बने हुये हैं और रिसर्च भी बहुत हुई है। लेकिन 1939 में जब कोई केन डेवलपमेंट का वर्क नहीं था तब देवरिया जिले को चीनी मिलों की रिकवरी 11 प्रतिशत था और आज वह 10 प्रतिशत से कम है 8 और 10 प्रतिशत के बीच में है। यह क्यों हुआ? ज्यों-ज्यों मिलें पुरानी होती गईं, त्यो-त्यो उनके रिकवरी कम होता गई। उसको मार मार मालिक नहीं सकते, उसके मुनफे में कोई कोताही नहीं होता। आप हमारे दास कम देते हैं। उत्तर प्रदेश में दो तरह के दास हैं एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये। खेत खाय गदहा। मार खाय जोलहा। मिल पुरानी होने के नाते कम रिकवरी हो और मार किसान सहे, यह कैसे हो सकता है? मान्यवर, दास के मामले में गन्ने की जितनी दुर्गति हुई इस देश में किसानों और गन्ने की जितनी दुर्गति हुई है इतनी दुर्गति शायद ही किसी चीज की हुई हो? कंज्यूमर सूचकांक जो है, मूल्य सूचकांक यह तो आप रोज बनाते हैं। क्या आपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का भी मूल्य सूचकांक बनाया है? क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जाल बट्टा है किस लिये इसको बनाने के लिये रोकते हैं, क्यों नहीं बनाते कि इसके दास इस हिसाब से बढ़ते हैं। यह इसलिये क्योंकि किसानों को लूटना है, किसानों का सर्वनाश करना है। मान्यवर, गन्ने का दास तो शुरू से ही कांग्रेस का चुनाव फण्ड रहा है। जब चुनाव फंड की जरूरत नहीं थी, सन् 1948 में गन्ने के दास 2 रुपये मन था और चीनी 32 रुपये मन। किदवाई साहब ने एक फार्मूला बनाया था कि जै आने सेर चीनी बिके, तै रुपये मन

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

गन्ना ? यह दो साल मिठा । तीसरे साल, 1952 में चुनाव आया तो श्ट गन्ना 1 रुपया 3 आने कर दिया और उसके बाद तो कहानों ऐसी बढ़ती गई कि हर चुनाव साल में गन्ने के दाम कम हुये हैं और चीनो के दाम बढ़े हैं । इसका नतीजा क्या है एक साल आपने चुनाव वर्ष में गन्ने के दाम घटाये और चीनो के दाम बढ़ाये तो दूसरे साल गन्ना किसानों ने बोना कम कर दिया । फिर उसके बाद जब चीनो का उत्पादन कम हो गया, गन्ना कम होने के कारण तो फिर गन्ने के दाम बढ़ाये । इस तरह करते-करते पांच वर्षों में दो बार बढ़ गेया तो गन्ना अधिक हो जाता है, खपत कम होती है, गन्ना बेकार जाता है और फिर वह नहीं बोते और गन्ना कम होता है और इस तरह से चीनो की दुर्दशा होती रहती है । आखिर आपने गन्ना नीति क्यों नहीं बनाई । आप एक निश्चित गन्ना नीति बनाइये । लेकिन मान्यवर, चुनाव कैसे करायेंगे ? ऐसा लगता है कि इसके लिये यह मामला बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया ? आखिर क्या वजह है 1948 में 62 प्रतिशत किसानों को मिलता था वह आज घटते-घटते 38-39 प्रतिशत हो गया है । सबको लागत दे रहे हैं तो इनको क्यों नहीं देते । गन्ने की लागत काफी है, उसके हिसाब से उनको क्यों नहीं देते । लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता और यह इसलिये नहीं होता क्योंकि इसके लिये आपका मन नहीं है । आप बेईमानों की स्थिति में रहते हुए न्याय करना चाहते हैं, लेकिन न्याय नहीं कर पाते । अभी-अभी हमारे कई मित्रों ने कहा कि मिलों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए । अभी रामानन्द जी कह रहे थे कि किस प्रकार खुदी मियां ने खांडसारी या चीनी के कारखाने से दो-दो मिलें खड़ी कर ली । हमारे और रामानन्द जी के घर के बीच में ही खुदी मियां का घर है । इन चीनी मिलों के मालिकों ने मुनाफा चीनी मिलों से कमा करके बाहर दूसरी इंडस्ट्रीज को खड़ा किया है और उनका तो ऐसा है मुनाफा चीनी मिलों से कमाओ

और चीनी मिलों को खंडहर बना कर रख दो । जब से राष्ट्रीयकरण का नाम आया तब से मिलों से सारी चल सम्पत्ति को हटाया जा रहा है । मिलों को अगर आप ले लें तो एक भी मिल आप चला नहीं सकते । एक तो हमारे कर्मचारी इतने बेईमान हैं मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि एक बार सरकारी नौकरी में आ गये तो तनख्वाह घटने का डर नहीं है काम करने की जरूरत नहीं है । टेक्नीकल के नाम पर पुर्जा अगर खराब हो जाये तो वह पुर्जा बदली नहीं होगा । जो पुर्जा नया खरीदा जायेगा वह बाजार में बेच दिया जाता है और कोई पुराना पुर्जा लाकर के लगा दिया जाता है । इस प्रकार से कोई मिल चल नहीं सकती है । इसलिये आप जितनी पूंजी उसमें डुबायेंगे उसमें तो अच्छा है आप नयी मिलें खड़ी करें । मिल मालिक तो चाहता है मिल खराब हो और वह उसे खराब कर रहा है । जितनी उसकी लागत है उससे कई गुना मुआवजा आप उसे दे देंगे और वह कबाड़ में नही बिकेगा । आज राष्ट्रीयकरण का नाम लेना जबकि एक भी मिल चलने लायक नहीं है बेमतलब है । आप राष्ट्रीयकरण करके जो फायदा उठा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार के बीमार मिलों के अस्पताल में आप कारखाने को लेकर आप कोई फायदे वाला काम नहीं करेंगे इसको मैं इसलिये कह रहा हूं कि इसका बोझ हम लोगों को उठाना पड़ रहा है, किसानों को उठाना पड़ रहा है, गांवों के 70 प्रतिशत लोगों को उठाना पड़ रहा है । सब राष्ट्रीयकरण हो जाए, सब बंधिया बैठा दीजिये । सब मजदूरों को तनख्वाह लेकर दीजिये हम लोगों को उजाड़ कर बाहर कर दीजिये । (समय की घंटी) मान्यवर, जरा...

उपसमाध्यक्ष (श्री संयद रहमत अली) :

जरा का मतलब है बिल्कुल मूखतसर । तीन मिनट आपको अलाट किये गये थे इस वक्त आप नौवें मिनट में बात कर रहे हैं ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : मान्यवर, आज किसानों का बकाया दो अरब रुपये से ऊपर है। आखिर हमारे यहाँ इस बार विपत्ति आई है, बिहार की नारी नदिया बह रही है बाढ़ आई हुई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सारी नदियों में बाढ़ है। सारे किसान तबाह हैं। इस समय उनका जो बोज था वह भी बह गया है। चारा भी नहीं है। कोई चीज नहीं है और दूसरों का मैं क्या कहूँ, कितना बकाया है माननीय मंत्री जी की दो मिलें हैं देवरिया और बेतालपुर में रैन पर एक करोड़ रुपया बकाया है। यह मिलें केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में हैं। हमारे पास जब बकाया रहता है तो मान्यवर, दो-दो रुपये के बकाया में छोटे किसान की तहसील में बन्द करवाते हैं गिरफ्तार करवाते हैं वसूली करवाते हैं और पता नहीं कितना तंग करते हैं बेल कुर्क करते हैं, पर कुर्क कर के भी पैसा वसूल करते हैं। मिल मालिकों की तरफ किसानों का दो-दो सौ करोड़ रुपया बाकी है आप क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर कब देंगे? जब किसान मर जायेगा, उजड़ जायेगा, क्या तब देंगे? अगर नहीं देंगे तो पिछली फसल तो गई ही अगली फसल भी जायेगी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके बकाया दिलवाइये और कर्जों के बारे में आप यह नियम बनाइये सरकार का जितना बकाया है सब में गन्ने की पच्ची ले लीजिये। अगर किसान गन्ने की पच्ची देना चाहता है कर्ज में तो उसकी पच्ची ले लीजिये। हमको तो आप मुर्गा बनाकर के वसूल करेंगे। आप हम से कर्जा ले लीजिये वह पच्ची ले लीजिये और वसूल कीजिये। आप ले लीजिये और वसूल कीजिये लेकिन आप के मन में तो गड़बड़ है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारस, कारन कवन नाथ मोहि मारा।

किमी से काफी मोहब्बत है और हम से दुश्मनी है यह हमारी समझ में नहीं आता। कुछ तो आपको निर्णय करना पड़ेगा और अगर निर्णय

नहीं करेंगे चीनी के मामले में साग का सारा का मामला बरबाद हो जायेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास चीनी की कमी नहीं है और आगे भी कमी नहीं पड़ेगी और अगर आपकी नीयत ठीक हो और आप किसानों को दें। लेकिन मान्यवर, आयात क्यों किया जा रहा है मैं तो कुछ समझ नहीं पाता कि आयात जिस तरह से बेतहाशा बढ़ा है और निर्यात घटा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिवाय चन्दे और कमीशन के कोई कारण नहीं है कि इस तरह से आयात बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो हिन्दुस्तान में पैदा न हो सके। कुछ अन्य न पैदा होने वाली चीजें बाहर से मंगाइये लेकिन जो थोड़ा सा प्रोत्साहन देने से यहाँ पैदा की जा सकती है उसको क्यों नहीं पैदा करते हैं? आप दो सौ रुपये तक विदेशी काश्तकार को गेहूँ के दाम देंगे लेकिन देश में आप लागत मूल्य भी नहीं दे सकते हैं, उससे भी 2, 4 या 10 रुपये कम देते हैं। आप देश के किसानों को पैसा नहीं दे सकते, चीनी के लिए गन्ने का दाम नहीं दे सकते हैं लेकिन विदेशों से मंगाएंगे उसका कई गुना दाम देंगे? यह कैसे एक तरफा मोहब्बत चलेगी और कब तक चलेगी? मान्यवर, आप किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि किसान हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अगर वे हड़ताल कर दें तो खुद भी मरेंगे। इसलिए आप उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं और कई बार जब हमने यह प्रश्न उठाया या अपने क्रांतिकारी दोस्त जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं जब वे इस पर बात कहते हैं तो कहा जाता है कि किसान संगठित क्यों नहीं हो जाते? अगर यही हो जाता तो ये बातें किसानों के साथ नहीं होती। तब आप एक ही दिन

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

मैं ये बोल जाते। लेकिन किसान संगठित— नहीं हो पा रहा है। जो यहां भी आते हैं तो कहीं से आपका डंडा, कहीं से दूसरे का डंडा? वे अपने मन से नहीं कह सकते हैं। अगर आप ब्रिह्म उठा लीजिए और किसानों के किसी मसले पर चुनाव करवा लीजिए तो देख लीजिए कि क्या होता है? लेकिन नहीं, पार्टियों का डंडा लगा हुआ है। इसलिए मन तड़पता रहता है गरीबों की बात कहने के लिए, लेकिन फिर भी पार्टी के नेता और उसके अनुशासन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और इसलिए आप जो चाहे करें। इसलिए माननीय मंत्री जी “जाके पैर फटे न बिवाई, सो क्या जाने, पीर पराई”। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पैर में बिवाई फटी है, आप उन्हीं गरीबों के यहां से आए हैं आप स्वयं गरीब घर से आये हैं, और मान्यवर, आपने गरीबों से गजनीति की है, मैं गौरव के साथ कहता हूं कि आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता से मंत्री के पद पर आये हैं, इसलिए हर तरह के किसानों के दुखदर्द को समझते हैं और उसके मुताबिक कुछ से कार्यवाही करेंगे ऐसी मुझे आशा है। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।

श्री सूरज प्रसाद : उपसभाध्यक्ष महोदय, खुशी की बात है कि सरकार कुम्भकर्णी नीट से टूटी है और 12-13 वर्षों के बाद सरकार ने यह बिल हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है जिसके कि जरिये चीनी मिल मालिकों ने जो अधिक कीमत वसूल की है उसको वसूल करने का प्रावधान इस बिल के अन्दर रखा गया है। मैं इस संबंध में एक दो बात कहना चाहूंगा। वे यह कि अभी देश के अन्दर सरकार की नीतियों की वजह से

चीनी का संकट पैदा हो गया है। लगता यह है कि अगले एक दो साल तक या कुछ और सालों तक यह चीनी का संकट देश के अन्दर जारी रहेगा। 1981 और 82 में जहां चीनी का उत्पादन 84 लाख टन था वहां 82 और 83 में 82 लाख टन हुआ, 83-84 में 59 लाख टन हो गया और अनुमान यह है कि 84-85 में चीनी का उत्पादन महज 51 लाख टन होगा। और इसलिए सरकार को मजबूर होकर विदेश से चीनी मंगवानी पड़ती है। इस साल सरकार ने साठे तीन लाख टन विदेश से चीनी मंगवाई हैं और हो सकता है कि और अधिक चीनी सरकार को मंगवानी पड़े। सरकार का कथन यह है कि अभी चीनी का संकट नहीं है।

मंत्री जी ने लोक सभा में भाषण किया कि देश में 59 लाख टन चीनी की पैदावार तो होगी। यह बात सही है, लेकिन देश में कैंरी-ओवर गत साल का हमारे पास 46 लाख टन है। इसलिए देश में काफी भंडार हैं चीनी का जिसके जरिए हम देश में चीनी का संकट नहीं पैदा होने देंगे। लेकिन 1984-85 में चीनी का कैंरी-ओवर महज 23-24 लाख टन होगा। अगर 1984-85 में चीनी का उत्पादन 51 लाख टन हो, तो टोटल देश के अन्दर जो चीनी उपलब्ध होगी, वह महज 78 लाख टन होगी और हमारी सालाना चीनी की खपत 78 लाख टन ही है।

तो इसलिए, 1984-85 का जो साल होगा, देश के अन्दर चीनी का घोर संकट का साल होगा।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जग इस पर उसे ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न यह है कि आखिर देश के अन्दर

इस तरह चीनी के संकट का क्या कारण है ? क्या कारण है कि देश के अन्दर चीनी का रेकार्ड उत्पादन 84 लाख टन और गन्ने का उत्पादन 180 लाख टन के बाद इस साल चीनी का उत्पादन 59 लाख टन हो ? निश्चय ही यह आश्चर्य की बात है ।

सरकार ने लोक सभा में कहा है कि चीनी का उत्पादन कम इसलिए है और गन्ने का उत्पादन कम इसलिए देश में है कि गत साल मौसम खराब था और मौसम खराब होने के कारण गन्ने का उत्पादन कम हुआ है और इसलिए देश के अन्दर चीनी का उत्पादन कम है । लेकिन यह सत्य से परे है । यह लोगों की आंख में, जनता की आंख में, या सरकार अपनी ही आंख में इस जरिए धूल झाँकती है । असल कारण क्या है ? असल कारण यह है कि सरकार की गन्ना नीति बिल्कुल किसान विरोधी नीति है ?

मैं सरकार के ही आंकड़ों से यह साबित करना चाहता हूँ कि गत तीन सालों से सरकार की यह एक सुनिश्चित नीति रही है कि गन्ने का उत्पादन देश के अंदर कम किया जाए । मंत्री जी ने इसी हाउस में बोते हुए कहा कि देश के अंदर गन्ने की जो कीमत है, वह आर्टिफिसल है, वह आरबिदेरी है । उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दूसरे राज्यों में जो गन्ने की कीमत तय की गई है, वह बनाबटी है, मनमानापन है और इसलिए जरूरत इस बात की है कि गन्ने की सही कीमत देश के अंदर निर्धारित होनी चाहिए । उसी नीति के तहत गत तीन सालों से सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि गन्ने की कीमत में कटौती की जाए । मेरे पास खाद्य विभाग के 1982-83 और 1983-84 की वार्षिक रिपोर्ट है । उस

रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में गन्ने की कीमत 1981-82 में 26 रुपये क्विंटल थी, जो 1983-84 में 23 रुपये क्विंटल है ।

बिहार में गन्ने की कीमत 1981-82 में 23 रुपये क्विंटल थी, जो 1982-83 में 19 रुपये 50 पैसे हो गई और इस साल 20 रुपये 50 पैसे है, आन्ध्र प्रदेश में गन्ने की कीमत 1981-82 में 23 रुपये 23 पैसे प्रति क्विंटल थी । और अभी 83 और 84 में 19 रुपये 59 पैसे है, महाराष्ट्र में 1981-82 में 16 रुपये 59 पैसे और अब 15—रुपये प्रति क्विंटल है और राजस्थान में 25 रु० से गन्ना की कीमत घट कर 24 रुपये क्विंटल हो गई है । ये बातें इस बात की और संकेत करती हैं, गत तीन सालों से सरकार का यह सुनिश्चित प्रयास रहा है कि गन्ना की कीमत घटाई जाए और गन्ना की कीमत घटने की वजह से किसानों ने यह निश्चित किया कि अब गन्ना के स्थान पर दूसरी कोई चीज का उत्पादन करना चाहिए और इसलिए गन्ना के जो किसान हैं उन्होंने गन्ना के स्थान पर दूसरी चीजों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है जिसके कारण देश के अन्दर में गन्ना के उत्पादन में ह्रास हो गया है । सरकार से यह पूछा जाए कि 1982 और 1983 में अगर 170 मिलियन टन गन्ना का उत्पादन हुआ था तो 1983-84 में कितना हुआ और 1984-85 में कितना होगा । तो अभी तक सरकार ने इसके लिए हम लोगों के सामने कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है । लेकिन हमारी समझ यह है कि देहात में घूमने और फिरने के बाद, गन्ना की कीमत में कटौती के बाद किसानों ने यह निश्चित किया कि अब हमें गन्ना की पैदावार घटानी चाहिए और उन्होंने घटा दी है । एक कारण यह है । दूसरा कारण, गन्ना के उत्पादन में जो कमी आयी है

[श्री सूरज प्रसाद]

और जिसकी वजह से चीनी के उत्पादन में कमी आयी है उसका प्रधान कारण यह है कि गन्ना की कीमत का मिल-मालिकों के पास अरबों रुपया हर साल बाकी रह जाता है। गत साल इसी हाउस में जवाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा था हम लोगों से कि गन्ना की कीमत मिल मालिकों के पास 15 सौ करोड़ (9) रुपया बाकी है। गत साल उनका जबाब था और इस साल अभी तक जो आंकड़े अखबारों में प्रकाशित हो रहे हैं उस के अनुसार गन्ना की कीमत का साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया अभी बाकी है। तो जिस किसान की इतनी कीमत बाकी रहेगी और एक वर्ष नहीं कई वर्षों तक तो किसान क्यों गन्ना पैदा करेगा, गन्ना पैदा करने के प्रति उसकी अभिरूचि क्यों होगी? वह क्यों नहीं दूसरी चीज पैदा करेगा और हमारी सरकार ऐसी है, कानून तो बना देती है, गन्ना की कीमत अगर बाकी रहेगी तो कौन उसका सूद किसानों को दिलायेगा। लेकिन सरकार के पास एक उदाहरण भी नहीं है कि पूरे देश के पैमाने पर किसी भी जगह किसान को उन्होंने सूद का भुगतान कराया हो। तो यह इसके दो प्रधान कारण हैं, जिनके कारण देश के अन्दर में गन्ना की पैदावार में कमी आई है। एक गन्ना की कीमत में कटौती और दूसरा अरबों रुपये किसानों के गन्ने का कीमत बाकी रहना जिसके कारण से गन्ना की पैदावार में कमी आई है और उसी के अनुरूप चीनी की पैदावार में कमी है और मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि अगले साल चीनी की पैदावार देश के अन्दर जैसा कि अनुमान कुछ लोगों ने लगाया है 51 लाख टन होगी और इस साल का जो कैरीओवर होगा वह महज 24 और 25 लाख टन होगा और देश में अभी 78

लाख टन चीनी की खपत है और उसके अनुसार देश में जितनी पैदावार होगी उतनी तेज देश के अन्दर खपत होगी और उतने ही चीनी के मिल मालिक होंगे। उनको इस देश के अन्दर खुलकर चीनी की चोर-बाजारी करने का एक मौका मिलेगा और हम लोगों को एक बात वाद है 1979-80 में इस देश के अन्दर में 15 रुपये किलो 16 रुपये किलो तक चीनी बिकी थी। वही स्थिति इस देश के अन्दर फिर आ रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस बात पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। प्रश्न यह है कि संकट से उभरने का क्या कोई रास्ता है? हां है। रास्ता यह है कि किसानों को सरकार को लाभप्रद कीमत सुनिश्चित करनी चाहिए। लाभप्रद कीमत क्या हो? तो सरकार की दृष्टि में लाभप्रद कीमत तेरह रुपये हैं। और उसके मुताबिक राज्यों को छोड़ा जाता है कि वह अपने दाम तय करें... (समय की घटी)... मैं खत्म कर रहा हूँ माननीय उपसभाध्यक्ष जी तो स्टेट तय करें और थ्रु ओपेन में तय करते हैं। हमारी सरकार से यह दरखास्त होगी कि वह गन्ने की लाभप्रद कीमत 25/- रुपए क्विंटल निश्चित करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि चीनी का अगर ठीक से वितरण करना चाहें तो लेवी चीनी और नोन लेवी चीनी के बीच का जो फर्क है, उसे समाप्त करना चाहिए। अभी लेवी और नोन लेवी का जो फर्क है - 65 प्रतिशत और 35 प्रतिशत तो हमारी समझ यह है कि सरकार दोनों ही चीनी लेवी के रूप में अगर ले ले और देश के अन्दर सरकारी दुकानों के जरिए वितरण करे तो देश के अन्दर दो चीनी का बाजार नहीं रहेगा, एक बाजार रहेगी और इसके

चलते चीनी की जो चोर बाजारी होती है, वह समाप्त हो जाएगी ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ... (समय की घंटी) ... वह यह कि चीनी संकट का अंतिम हल यह है कि जितनी भी देश के अंदर को-ऑपरेटिव सोसाइटी की चीनी मिलें हैं ..

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली)

अब आप खतम करें वरना मैं संकट में पड़ जाऊंगा ।

श्री सूरज प्रसाद : उनका सरकार राष्ट्रीयकरण करे । मैं मंत्री जी से उम्मीद लगाए हूँ कि भारत सरकार के एक मंत्री कुमार मंगलम भी हुए थे, जिन्होंने साहस किया कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का और यह हमारे भागवत झा आजाद भी आते हैं बिहार से, चीनी मिलों की जो दुर्दशा है, उससे वह अवगत ही है, मैं चाहूंगा कि यह भी साहस करें मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए मजबूत कदम उठाएं ।

***SHRI PUTTAPAGA RADHA-KRISHNA (Andhra Pradesh):** Mr. Vice-Chairman, Sir we are discussing the Bill to amend Levy Sugar Price equalisation Fund Act, 1976 today. The parent act was enacted in 1976. We are discussing just some amendments brought forward through this bill. It is not strange that quite often the Government enacts certain laws but later on comes forward with certain amendments keeping in view the difficulties that have arisen in implementation of that act, and also to plug certain loopholes existed in the main Act. It is nothing new. But what is strange is that the amendments which are proposed in this Bill are quite preliminary. These amendments are not of

any extraordinary nature which could have compelled the government to come out with amendments, but are quite basic ones which could have been proposed in the very principal act itself. The government had taken 8 long years to realise the simple truths embodied in this bill. The Hon'ble Members belonging to U.P. and Bihar who have preceded me paid eloquent tributes to the Hon'ble Minister. So, I think it is but proper to put forth certain problems which our farmers are facing today. Sir it is an accepted fact that we had enough quantity of sugar as reserve only last year. But these reserves have dwindled so much so that we had to resort to importing sugar this year. What is the reason for this unhappy development? Almost all the members are unanimous that the main reason for this unhappy development is that the sugarcane grower is not getting a remunerative price for his produce. With the result no farmer is coming forward to grow cane anymore. As a logical consequence of it the stocks have come down considerably and instead of exporting we are forced to import sugar this year. It is true that this is the main reason for the down fall of sugar production in the country. But apart from paying a remunerative price there are two more important reasons which are affecting the sugar stocks.

Hoarding is equally an important reason. Sir as you might have noticed the difference between levy sugar price and open market sugar price was very little. As a result of it many traders have hoarded the stocks of sugar. This hoarding of sugar by unscrupulous traders is one important reason why we do not have enough sugar stock in the market today. This artificial scarcity is the deliberate creation of some traders..

Another important reason, I think is, that perhaps the government, in order to help its friends have liberally

(Shri Puttapaga Radhakrishna)

issued licences to import sugar for their benefit. I think this should be reformed. By bestowing favours on some persons will only ruin the position further.

I am not satisfied with the performance of the public distribution policy of the centre. In this context I am proud to state that in my own state, Andhra Pradesh, the public distribution system is perfect or near perfect and can easily serve as a model to other states in the country. I think the centre would not hesitate to follow our example.

Hon'ble Member Shri Biswa Goswami has mentioned about nationalisation of the sugar industry. But what I feel is that it is better to go for strengthening the co-operative system rather than nationalisation which has got its own demerits. Moreover co-operative system very much needed for our country.

Further, I feel that the distribution of sugar throughout the country should be on a uniform pattern. This will also help further ease the sugar position in the country.

Sir, I conclude. I support this bill and I hope the government would implement it with all sincerity and honesty.

I thank you very much for giving me this opportunity.

Thank you.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, ordinarily the Bills of this nature which has been brought forward by our hon. Minister should

be welcomed because these seek to plug the loop-holes in the matter of payment of money that is owed to the Government by the producers or manufacturers. But it appears that it has fallen to my lot to view these Bills from a commercial point of view. Some time back, Mr. Azad has come forward with exactly a similar Bill regarding the Aluminium Equalisation Fund. And while discussing that Bill, I raised this point that the interest rate to be charged for non-payment is so low as to encourage the person who owes to the Government to keep the money with him. I am inclined to have the same view with respect to this Bill also. Though the purpose of the Bill is laudable and one cannot have any doubts about it, but under the Amendment that is proposed to be made, it is stated that the Government shall charge interest at the rate of 15 per cent for non-payment. Sir the current rate of interest that the sugar mill owners pay to the banks is 21 per cent. And they are getting the Government money at 15 per cent and they are keeping it. And I am afraid, they will go on keeping this money and go on paying the interest at this reduced rate comparatively to the Government. It is profitable for them to pay 15 per cent rather than pay 21 per cent to the banks. Therefore, I would request the hon. Minister that he should have a fresh look at the rate of interest, and in case of default, they should charge 21 per cent from those who do not pay this money.

Sir, now I come to my second point. My other friends have spoken about the Bill at large. And I am confining myself to the commercial aspect of this Bill. The second point is that the excess realisation by the mills should be deposited within 60 days. That means, for two months at the rate of even 15 per cent, it comes to about 3 per cent. Why should it not be paid within seven days or within ten days?

I would request the hon. Minister to amend the Act and have ten days instead of sixty days. The third point that I would like to bring to the notice of the hon. Minister in this connection is that this is a fact that mills get a stay order in case of excess payments and other things. But I would request him that where the Government is represented in these courts they should impress upon the courts that the money must be taken out from the producers and deposited in some account with the court or anywhere else. The idea is that this sugar industry is always in trouble. It is always wanting money. When the question of payment comes, if it is agitated by the producer and a stay order is issued in his favour the Government should simultaneously ask the courts that all right, do not give us the money, but keep it with the court pending disposal of the case. This is a very important thing. This way we will have access to the money when the court decides the matter. The fourth point that I have to mention is that I have to ask the hon. Minister to insert a penalty clause. It is all right that he has said it is 15 per cent. But as I have suggested it should be increased to 21 per cent. But even after non-payment by the party after three months the penalty at the rate of one per cent or 2 per cent per month should be levied. Then alone this money will come. Otherwise, they will continue to defy this order and will not pay the amount. These are the points that I have to bring to your notice. I am bringing them within the orbit of the Bill within the strict meaning of the Bill and I would request the Minister to react to the propositions that I have made.

Lastly, Sir, I would like to mention one point about the production of sugar and import of sugar. Of course, the Government has to import sugar when it is needed. But I would like the Minister to pass on my suggestion that I am going to make, as food for thought to the Ministry of Agriculture. I find that 80 per cent of sugar produced in European countries is produced from sugarbeet. We have a

very vast dry land farming area available to us and the sugarbeet crop is raised on dry land farms primarily. I would request the hon. Minister to pass on my suggestion as food for thought to the Ministry of Agriculture so that sugarbeet is also tried for the production of sugar in this country. With these observations, Sir, I conclude.

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH: We have already a sugarbeet mill in Ganganagar.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, I am grateful to the hon. Members to bring the entire sugar policy within the ambit of this small Amending Bill, whose objective has been only to realise that amount from the sugar producers which they charge as a result of the courts' stay orders over the levy price fixed by the Government. I would like to refer to the observations of the last speaker, Shri Matto, first. I am surprised how he could resist his temptations so limit his observations only on this Bill. He made three points regarding the Bill. Of course, the last one was with regard to passing on his suggestion, regarding raising the sugarbeet crop for sugar production, as food for thought to the Ministry of Agriculture. In this atmosphere I must congratulate him heartily that he took note of my Bill which is before the House because the other Members who participated in the discussion spoke anything but on the Bill. Therefore, I have to thank Mr. Matto for speaking on the Bill. Therefore, I would say that he is right and why should I charge only 12½ per cent if he pays within sixty days when he has got the amount with him; he should pay 15 per cent I agree with you as a Minister. Unfortunately, my difficulty is the courts. They say, when they are due you must give them sufficient and reasonable time to pay it. Otherwise it is not according to the natural law. We have faced this problem not in one case but in many cases including the aluminium matter to which he made a reference. Therefore,

(Shri Bhagwat Jha Azad)

we have to make this provision.

[Shri Bhagwat Jha Azad]

Otherwise, I will not even 6.00 P.M. get this much. Therefore, I agree with him Sir. It is true, why not, when there are dues with them? They must deposit immediately. They overcharge the consumers after the Government has done its fixation; but this is my limitation and hence, I cannot do it. Now, 15 per cent is the interest which I will charge and my reply to your argument for the penalty clause is again the same that I have given already. The other point is that we do try to realise this amount from them as land revenue. Therefore, these points—though very important pertaining to this Bill—cannot be agreed to fully and much as I would desire, it is not possible due to these limitations. I again thank you that you took note of my Bill.

Now, I have got before me the panorama of the entire sugar policy which does not pertain to this amending Bill, but I must react to the points raised; otherwise, the hon. Members will say that this Minister is arrogant, does not speak about it. And secondly on my part also, I cannot allow these points to go unchallenged on the floor of the House lest it may be construed that I have no arguments to offer. Therefore, I will take up the points raised here.

(Mr. Deputy Chairman in the Chair.)

It has been said that—one Member has forecast a doom in respect of sugar production next year—this country will not survive possibly so far as sugar is concerned. Let us see why the production came down to 59 lakh tonnes this year compared to 82 lakh tonnes last year and 84 lakh tonnes the year before. The hon. Members have advanced arguments that it is due to firstly non-remunerative cane price and secondly, due to cane price arrears. These two reasons have been advanced. I would say it is not the case. Factories have paid about Rs. 21 to 22 actual

average cane price against the statutory price of Rs. 13.50 and the price of Rs. 21 to Rs. 22 is being continued to be paid by the State Government during 1981-82, 1982-83, 1983-84. What I say is, this price has brought me the record production in 1981-82 and 1982-83 to the tune of 84 lakh tonnes and 82 lakh tonnes. There could be no reason to call it unremunerative this year to bring down the production to 59 lakh tonnes. Now let us see how does the production fall. The second point raised was about the arrears. If that were the reason, then production should have fallen in U.P. and Bihar who in this case are great defaulters. They do not pay properly this year and last year also did not pay properly. So production would have gone down in these States if arrear were the reason, compared to Maharashtra where there is no such problem. I commend, and I have done so in the House, because in Maharashtra they even give advance payment and at the end of the season they have the Bhargava formula of fifty-fifty, sharing which is a good scientific formula. Some States have advanced the advised price which I have always said should be on the pattern of Maharashtra. I never said what my CPI friend said that Government has a definite policy of reducing sugarcane in the country. Why should a Government exist if it has this policy especially when this is an important year for any Government to come? And certainly we are coming back. Why should I do that?... (Interruptions) Mr. Kalmadi, I know, in spite of your small demonstration, you know what the result will be. Mr. Deputy Chairman, Sir, I would, therefore, say that the two reasons advanced by the hon. Members are not the reasons for this. For example they have mentioned arrears as one of the reasons. Had this been the reason, production in Bihar and U.P. would have come down like anything, not in Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. These Southern States, Sir, today, are contributing in a great way to the drop in production though they

are not in the list of States where arrears are there in regard to sugarcane. This is so only in these two States, Bihar and U.P. Therefore, this is not the reason.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आप बिहार और उत्तर प्रदेश का शुगर प्रोडक्शन सिर्फ एक वर्ष का मत देखिये । आप पिछले कई सालों का हिसाब करके देखिये । उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या स्थिति रही है, इसको आप पिछले सालों की तुलना करके देखिये ... (व्यवधान)

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I have mentioned about this. I do not know how many years my friend wants me to go back. He may go back many years like his party, reactionary party. But as a person belonging to a progressive party, I can go back only to 1983-84, 1982-83 and 1981-82. In these three years, by paying remunerative price to the farmers, we got higher production in the country. I have no reasons to believe that the price was unremunerative. Therefore, these two are not the causes. (Interruption) (be

श्री सुरज प्रसाद . श्रीमान मैं यह कहना चाहता हूँ कि ... (व्यवधान) ।

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: You are quoting wrong figures. This hon. gentleman has quoted all wrong figures. He said that the arrears is Rs. 350 crores. Whereas, the fact is, it is Rs. 138 crores. He has overshot only by Rs. 200 crores! This hon. Member said that next year will be a year of doom for the country in regard to sugar production. By saying this, he is lending support to the sugar hoarders in this country to push up the price. You are not helping the farmers. You are not helping consumers. You are only helping the sugar magnates against whom you speak so eloquently. The Congress Party is the only party which is under the leadership of Shrimati Indira Gandhi working for the people. This hon. Member remarked that this Government's policy is

anti-people, anti-farmers policy. Now, Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to know, whose policy is anti-people policy? Is our policy anti-people policy or is it the hon. Member's party policy? He says that the arrears is Rs. 350 crores. By this, he is creating a scare among the farmers. He also says that next year will be a year of doom for this country.

Sir, as you know, in our country, which is an agricultural country, agro-climatic conditions do vary. I have said this in the morning. We are giving incentives for rice production, for wheat production, for oilseeds production, for sugar production. But the balance is sometimes in favour of one crop and sometimes it is in favour of the other crop. Last year, there was a severe drought in the South. Production went down tremendously in only State, Maharashtra, where recovery is the best, where the system is best organised and there are no arrears also in that State. But Maharashtra contributed very less, the lowest, last year because of drought. You should see this reason. In one year, when the same price has been paid i.e. the actual cane price why should the production go down? This was because there was drought and floods in the North and drought in the South. Also, in the winter, because of untimely rains recovery came down in Bihar and U. P. This is the reason for the sugar production coming down from 82 lakh tonnes to 59 lakh tonnes. Now, Sir, I am not an astrologer like my friend, Mr. Suraj prasad, who says that next year will be a year of doom for this country as far as sugar production is concerned. Of course, I may not have a carry over of 49 lakh tonnes, but 18 to 20 lakh tonnes as on 1st October, 1984. But I hope, with good rains to come, we will have enough to manage. Therefore, this point is out.

The second point made was about the dual pricing policy. Well, Sir, I do not know whom they support. Do they support only the farmers in the wrong way, or, do they also take into view the consumers in this country?

[Shri Bhagwat Jha Azad]

Whose interests they support? They said that in 1978, when this dual pricing policy was removed, there was plenty of sugar and that it was sold at Rs. 2.50 per kg. The hon. Member, Shri Jagdambi Prasad Yadav, reminded me of his own days of his own government, that that Government was very nice, they removed control and that is why everything was available in plenty. True, you are right, Jagdambi Prasadji. For three months the price came down but after three months the price went up. So much so that in that very year 1978-79 when they did it, the same very Government had to bring in dual control again. It is not me but you who again brought this because you had to succumb to the pressure of consumer in this country. Industry means Cane growers, Industry means will owners, industry means consumers and my Government is the Government of socialist pattern, my Government is the Government of socialism. We have to keep a balance. You had to reintroduce it because in your time the price went up to Rs. 5. Production went down to 59 lakh tonnes. Do you deny it? It went to 39 lakh tonnes in 79-80. Do you deny it? (*Interruptions*). My goodness, what figures should I quote? All this happened in Janata Government. The moment Mrs. Indira Gandhi came, look and behold. When the cane was being burnt it started booming up. We got 84 lakh tonnes. Still more than 59 lakh tonnes, and we came up next year. Therefore, this also is not the argument which the hon. Member has given.

They have also said about nationalisation. That is another important point. Sir, nationalisation has become a stick of showing the exterior of some parties, about the love for socialism, but in this respect I can say what Mr. Kushawaha said is correct. He is man down to earth. He knows what it means for the farmer. Being a Member in the first Parliament of this country and the

youngest Member since 1952, I have been a blind supporter of nationalisation. Still now I support nationalisation. Sir, 'blind' means nationalisation where it is absolutely necessary and not for the sake of showing colour of socialism. Over the last 35 years we have seen that the cooperative sector is as good as nationalisation. In this country majority of factories are in the cooperative sector. Shri Kushawaha and that young Member Radhakrishnan of the Telugu Desam have rightly said that cooperative sector should be strengthened. They have not said about nationalisation. I am not prepared to recommend to the Government of Uttar Pradesh and Bihar to take over those junks from industrialists and pay them for that. Discard them, I do not mind, if they are not prepared to give them soft loans. If they do not come up, let them go to hell. We will be having new factories, if it is better for our country. This is the kind of euphoria for nationalisation. Of course, my party is committed to that. We want the public sector to reach commanding heights in the mixed economy of our country, but not at the cost of junks and paying to the mill-owners. You are speaking for the mill-owners, not for the poor consumers. So, their third point is also not correct. Sir, there are many more points raised by hon. Members. I am prepared to meet those points. Now that you are saying over, I would only like to say something about zones. My hon. friend is not here. I have said, we have no objection to the recommendation from Maharashtra. We have sent it to the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP). We have recommended and told them to kindly examine it and tell us. There are 16 Zone Low and behold, when we got the recommendation, it says, reduce it to eight zones. One hon. Member said, reduce it to only one zone in the sugar industry. I do not know from what understanding he was saying so. In this country there are different zones. There is different production, different recovery. We have to make a rationale

out of all that. Therefore, we have asked the BICP to consider what Maharashtra and Gujarat have said. We cannot on our own do it because it is not a body of the Ministry; it is an expert body outside the Ministry. We are considering that also. Therefore I would say, about the arrears—which is my last point, Sir, which will interest you also—the Members have asked me day in and day out and today also: what are you doing for the payment of arrears? I ask a question: what do they want me to do? The question is under the present arrangement, payment of huge interest is to be made by the State Governments. As a Minister co-ordinating the activities, I persuade them, I goad them, sometimes I take the liberty with my friends who are equal to me in being angry with them. That is why, Sir, the dues are being paid and compared to the position on 15th June last year when it was 15.9 per cent, this year it is 10.9 per cent. But I am not satisfied. Why should it be Rs. 118 crores still? But it would be better if the hon. Members rather than shouting at me were to tell me, what they expect from me in the present constitutional arrangement otherwise than to request them, goad them, persuade them and also the Finance Minister going out of the way in giving them ways and means loans to pay the arrears. What else we as the Central Government can do? On the one hand if you want to do beyond the constitutional powers, immediately we are reminded of the Sarkaria Commission, the Centre-State relations etc. and on the other hand here they are very good. I would advise what they should do. Rather than only press me, I would ask all members to tell their parties and friends in the Assemblies of the States of those Governments which are not paying to put them in the same way as they are putting to me here and asking them to pay. I on my own be half assure them, even recently before this debate came, I have done this and I will continue to do it that when their request comes to the Finance

Minister, it will be considered very liberally. We have given a loan of Rs. 40 crores to Uttar Pradesh. For Bihar, Shri Ramanand Yadav was very strong in asserting, "Mr. Jha, it is a shame for the Government to import".... (Interruptions) No, you have said it, you see the debate; and I was a little pained.

SHRI RAMANAND YADAV: Not to you: कंदी के लिए शर्म की बात है।

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Right for me as an individual I would tolerate this "shame" better rather than "shame" for the country. That is what I wanted to tell you. Let not the country have "shame" for this. The country has to take note of hoarders of Bombay and Calcutta who threatened me that they would push up the price because there had been less production, to tell them that this Government is strong enough. I have only imported 3.54 lakh tonnes. I had to tell them: "No price will be increased". One hon. Member has asked me to stabilise the price at this level. I will stabilise it at this level in this country for the consumer. I would not permit the hoarders and blackmarketeer in this country to increase the price. Please believe me when I say it, I will release as much sugar as possible in the market to keep this price in the festival days for the consumers in this country to enjoy their festivals I humbly submit to the House to keep these important considerations of the sugar policy in view and with these words I commend this Bill for the hon. Members' consideration and passing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to amend the Levy Sugar Price Equalisation Fund Act, 1976, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

[Mr Deputy Chairman]

Clauses 2 to 8 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up the next Bill.

THE CINEMATOGRAPH (AMENDMENT) BILL, 1984

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Cinematograph Act, 1952, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, at this stage I would make only a very brief observation as to why this Bill is being brought. Because of the video boom in the country, there are reports that uncertified video films are being exhibited on a large scale. A large number of video parlours have sprung up all over the country and they exhibit such films recorded on video tapes by charging admission fee from the clients. Among other things, this has also hit the Indian film industry very adversely. It is felt that there should be more stringent punishment provided in the Cinematograph Act, 1952, the curb this practice of exhibiting uncertified Indian/foreign films by video parlours, etc. Hence this Bill for enhancing the penalties provided under section 7 of the Act as also prescribing minimum punishment for exhibiting uncertified films.

Sir, the net effect of these provisions would be to increase the punishment, to provide a minimum penalty. As a consequence this is read with section

513 of the Criminal Procedure Code, and the offences will become non-bailable. Of course even now they are cognizable and in view of the new provisions also they will remain cognizable.

Sir, I commend the Bill to the House.

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment by Shri Satya Prakash Malaviya. . . He is not here. This Bill has to be finished today and so we have to sit a bit late. Shrimati Ila Bhattacharya.

*SHRIMATI ILA BHATTACHARYA (Tripura): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Hon. Minister has moved the Cinematograph (Amendment) Bill, 1984, today in the House. video is spreading corruption in our country. This Bill seeks to enhance the punishment for those who are guilty of spreading the corruption through video. I support this Bill. But before supporting this Bill I would like to make certain observations. I hope my observations will receive due consideration from the Government.

Cinema is a great industry in our country. This industry can move the society backward or forward. So the Government in every country has a special responsibility to this industry. Cinema industry has progressed much in our country. Our films have already earned international recognition. Producers like Shri Satyajit Ray, Shri Sham Benegal and Shri Ritwik Ghatak have produced many films of educative value. These films can take the society forward. But in proportion to the expansion of cinema industry in our country, good films have been produced in less number. Multiplicity of low standard films have brought degeneration in society. The society is already moving backward with the growth of bad films in the

*English translation of original speech delivered in Bengali.